35

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

(2021-22)

सत्रहवीं लोक सभा

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अनुदानों की मांगें
(2022-23)

पैंतीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, *2022*/फाल्गुन, *1943* (शक)

पैंतीसवां प्रतिवेदन

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)

सत्रहवीं लोक सभा

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अनुदानों की मांगें
(2022-23)

21.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

21.03.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, *2022/* फाल्गुन, *1943* (शक)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

डॉ. शशि थरूर - सभापति

लोक सभा

2. श्रीमती सुमलता अम्बरीश
3. श्रीमती लॉकेट चटर्जी
4. श्री कार्ती पी. चिदंबरम
5. डॉ. निशिकांत दुबे
6. श्रीमती सुनीता दुग्गल
7. श्री जयदेव गल्ला
8. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
9. डॉ. सुकान्त मजूमदार
10. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे
11. सुश्री महुआ मोइत्रा
12. श्री संतोष पान्डेय
13. श्री पी. आर. नटराजन
14. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
15. डॉ. जी रणजीत रेड्डी
16. श्री संजय सेठ
17. श्री गणेश सिंह
18. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
19. श्री तेजस्वी सूर्या
20. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन
21. **रिक्त**

राज्य सभा

22. डॉ. अनिल अग्रवाल
23. श्री जॉन ब्रिटास
24. डॉ. सुभाष चन्द्र
25. श्री वाई. एस. चौधरी
26. श्री रंजन गोगोई
27. श्री सुरेश गोपी
28. श्री सैयद नासिर हुसैन
29. श्री सैयद जफ़र इस्लाम
30. जवाहर सरकार
31. रिक्त

सचिवालय

1. श्री वाई. एम. कांडपाल	-	संयुक्त सचिव
2. डॉ. सागरिका दास	-	निदेशक
3. श्री शांगरिसो जिमिक	-	उप सचिव
4. श्री विजय मिश्रा	-	कार्यकारी अधिकारी

समिति का गठन समाचार भाग - दो का पैरा संख्या 3184 दिनांक 9 अक्टूबर, 2021 के तहत 13 सितंबर, 2021 को किया गया।

समिति शाखा-1 द्वारा जारी समाचार भाग - दो पैरा संख्या 3293 दिनांक 23 नवंबर, 2021 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का नाम बदल कर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति कर दिया गया है।

प्राक्कथन

मैं, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) पर यह पैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

.2 सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (22-2021)का गठन 13सितंबर 2021को हुआ लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 331ड .में यथा निर्धारित समिति का एक कार्य संबंधित मंत्रालय/विभाग के अनुदानों की मांगों पर विचार करना और इस पर सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है।

3. समिति ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की मांगों पर विचार किया जिसे 09 फरवरी, 2022 को सभा पटल पर रखा गया। समिति ने 25.02.2022 को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

.4 16.03.2022को हुई समिति की बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया गया और उसे स्वीकृत किया गया।

5. समिति इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों को समिति के समक्ष उपस्थित होने और अनुदानों की मांगों की जांच करने के संबंध में समिति द्वारा मांगी गई सूचना देने के लिए धन्यवाद देती है।

.6 समिति, समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियें द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए धन्यवाद देती है।

7. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के भाग-दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली; **डॉ .शशि थरूर**

16 मार्च, 2022

25 फाल्गुन, 1943 (शक(**सभापति,**

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी

स्थायी समिति

प्रतिवेदन

भाग-एक

एक. प्रस्तावना

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी और इंटरनेट (इंटरनेट सेवा प्रदाता को लाइसेंस देने के अलावा सभी मामले) के क्षेत्र में राष्ट्रीय नीतियों के प्रतिपादन, कार्यान्वयन तथा समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। एमईआईटीवाई का विजन भारत को विकसित राष्ट्र और सशक्त समाज के तौर पर परिवर्तित करने के लिए इंजन के तौर पर इसका ई-विकास करना है इसका मिशन नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए ई-शासन को प्रोत्साहित करना, इलेक्ट्रॉनिकी, आईटी-आईटीईएस उद्योगों की समावेशी और धारणीय वृद्धि को प्रोत्साहित करना, इंटरनेट शासन में भारत की भूमिका को बढ़ाना, बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना जिसमें मानव संसाधन विकास शामिल हैं, अनुसंधान और विकास तथा नवोदभव को प्रोत्साहित करना, डिजिटल सेवाओं के माध्यम से क्षमता बढ़ाना और एक सुरक्षित साइबर स्पेस को सुरक्षित करना है। इस मंत्रालय के उद्देश्य हैं:

- ई सरकार: ई-सेवाएं प्रदान करने के लिए ई-अवसंरचना उपलब्ध कराना
- ई-उद्योगः इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण तथा आईटी-आईटीईएस उद्योग को बढ़ावा देना
- ई-नवोदभव/अनुसंधान और विकास: अनुसंधान एवं विकास फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन - आरएंडडी को मूर्त रूप देने के लिए आईसीटीएण्डई / तंत्र की स्थापना के उभरते हुए क्षेत्रों में नवोदभव/अनुसंधान और विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण को सक्षम करना
- ई-लर्निंग: ई-कौशल और ज्ञान नेटवर्क के विकास के लिए सहायता प्रदान करना
- ई-सुरक्षा: भारत के साइबर स्पेस की सुरक्षा
- ई-समावेशन: अधिक समावेशी विकास के लिए आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देना

- इंटरनेट शासन: इंटरनेट शासन की वैश्विक प्लेटफार्मों में भारत की भूमिका को बढ़ाना।

दो. <u>इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदान मांगों (2021-22) के संबंध में समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति</u>

2. वर्ष 2021-22 के लिए एमईआईटीवाई की 'अनुदानों की मांगों' के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन 10 मार्च, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया/राज्य सभा के पटल पर रखा गया। 'विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों (डीआरएससी) के प्रक्रिया नियम' के नियम 34(1) के अंतर्गत संबंधित मंत्रालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने के भीतर समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत करना होता है। 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के संबंध में चौबीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी तीसवां प्रतिवेदन 1 दिसंबर, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया/राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। समिति द्वारा की गई 17 सिफारिशों में से 11 को स्वीकार कर लिया गया। समिति द्वारा 04 सिफारिशों के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया गया था और उन्हें उनके तीसवें प्रतिवेदन में दोहराया गया था। तीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी अंतिम विवरण को उचित समय पर संसद में रखा जाएगा।

तीन. <u>बजट विश्लेषण</u>

3. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न योजना और गैर-योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय का बजट आबंटन निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

	कुल
राजस्व	**13,911.99**
पूँजीगत	**388.01**
कुल	**14,300.00**

4. वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित राशि, बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक तथा वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित राशि और बीई का ब्यौरा निम्नवत दिया गया है:

(रुपये करोड़ में)

	प्रस्तावित (2021-22)	**बीई (2021-22)**	**आरई (2021-22)**	**वास्तविक* (2021-22)**	**प्रस्तावित (2022-23)**	**बीई (2022-23)**
राजस्व	12,852.00	9,274.66	9,174.25	5,559.42	15,764.21	13911.99
पूंजी	1,034.00	446.00	407.00	157.21	459.00	388.01
कुल	**13,886.00**	**9,720.66**	**9,581.25**	**5,716.63**	**16,223.21**	**14,300.00**

*31.01.2022 तक की स्थिति के अनुसार

(एक) <u>राजस्व खंड</u>

5. 2021-22 के लिए आरई चरण में आवंटन में लगभग 100 करोड़ रुपये की कमी के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने सूचित किया कि कमी मुख्य रूप से दूसरी तिमाही में वित्त मंत्रालय द्वारा लगाए गए कोविड -19 महामारी की दूसरी लहर और व्यय प्रतिबंधों के मद्देनजर पहली दो तिमाहियों में खर्च की कम गति के कारण है। राजस्व शीर्ष के तहत बीई 2021-22 और बीई 2022-23 के बीच भिन्नता के कारणों पर, मंत्रालय ने आगे बताया कि बीई 2022-23 में राजस्व प्रावधान में बीई 2021-22 की तुलना में 4637.33 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। बढ़ा हुआ प्रावधान मुख्य रूप से

इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 'बड़े पैमाने के इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई' योजना के लिए निर्धारित 5300 करोड़ रुपये के कारण है।

(दो) <u>पूंजी खंड</u>

6. पूंजी खंड के अंतर्गत निधियों का आबंटन बीई स्तर पर 446 करोड़ रुपये से घटाकर आरई चरण में 407 करोड़ रुपये कर दिया गया था अर्थात 39 करोड़ की कमी की गई थी। कटौती के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि (ईडीएफ) के तहत निवेश की आवश्यकता नहीं होने के मद्देनजर इस प्रावधान को कम कर दिया गया था क्योंकि डॉटर फन्ड्स द्वारा कुछ निवेश को बट्टे खाते में डाल दिया गया था और सर्ट-इन के संबंध में मशीनरी और उपकरणों के लिए निधियों की कम आवश्यकता थी। पूंजी शीर्ष के अंतर्गत बीई 2021-22 और बीई 2022-23 के बीच अंतर के बारे में, मंत्रालय ने बताया ईडीएफ के तहत निधि की कोई आवश्यकता नहीं होने के कारण बीई 2022-23 में पूंजी प्रावधान को 58 करोड़ रुपये कम कर दिया गया है क्योंकि डॉटर फंड्स द्वारा कुछ निवेशों के साथ-साथ योजनाओं और गैर-योजनाओं दोनों के मामले में राजस्व अनुभाग के तहत अधिक निधि की समग्र आवश्यकता को बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

चार. <u>इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का समग्र बजट</u>

7. वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक बीई, आरई और वास्तविक व्यय तथा 2022-23 के लिए प्रस्तावित और बीई का योजनावार ब्यौरा इस प्रकार है:

क्रमांक	योजना/गैर-योजनाएं	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23

		बीई	आई	वास्तविक	बीई	आरई	वास्तविक	बीई	आरई	वास्तविक (31.01.2022)	प्रस्तावित	बीई
1	सचिवालय (एमईआईटीवाई)	110.24	110.00	95.64	116.03	99.18	92.89	109.33	104.07	82.59	115.00	109.82
2	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी)	1150.00	1257.91	1269.03	1285.00	1300.00	1308.19	1400.00	1400.00	1046.80	1500.00	1450.00
3	नियामक अधिकारी	170.00	163.00	146.51	274.00	212.00	197.58	345.00	336.21	188.93	666.00	344.00
3.1	एसटीक्यूसी कार्यक्रम	120.00	120.00	109.50	125.00	114.00	99.14	120.00	114.91	86.82	157.00	120.00
3.2	साइबर सुरक्षा (सर्ट-इन), एनसीसीसी और डेटा गवर्नेंस	42.00	35.00	29.98	60.00	140.00	90.00	216.00	213.30	98.31	500.00	215.00
3.3	प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक (सीसीए)	8.00	8.00	7.03	9.00	8.00	6.71	9.00	8.00	3.80	9.00	9.00
	योजनाओं											
4	डिजिटल इंडिया कार्यक्रम	37500.76	3212.52	3191.09	3958.00	3044.82	3030.54	6806.33	6388.00	3143.84	1951.21	10676.18
4.1	इलेक्ट्रॉनिक शासन सहित। ईएपी	450.00	402.87	402.06	425.00	415.82	404.99	425.00	535.00	192.08	575.00	525.00
4.2	जनशक्ति विकास	400.75	338.00	337.97	430.00	190.00	190.00	400.00	400.00	85.15	450.00	350.00
4.3	राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क	160.00	274.64	274.64	400.00	584.00	584.00	500.00	500.00	500.00	650.00	650.00
4.4	इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर एमएफजी को बढ़ावा देना। (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर)	986.00	690.00	655.08	980.00	700.00	478.62	2631.32	2014.00	758.09	2405.00	2403.00
4.5	बड़े पैमाने के इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई										5298.00	5300.00
4.6	आईटी और आईटीईएस	100.00	90.00	90.00	170.00	100.00	98.55	150.00	100.00	48.49	246.00	100.00

	उद्योगों को बढ़ावा देना											
4.7	साइबर सुरक्षा परियोजनाएं	120.00	102.00	92.07	170.00	80.00	79.99	200.00	339.00	302.25	35.00	300.00
4.8	आईटी/इलेक्ट्रॉनिक्स/सीसीबीटी में अनुसंधान एवं विकास	416.00	435.00	427.74	762.99	425.00	420.91	700.00	700.00	329.79	1422.20	598.17
4.9	पीएमजीदिशा	518.00	400.00	400.00	400.00	250.00	250.00	300.00	300.00	300.00	300.00	250.00
4.10	डिजिटल भुगतान को बढ़ावा	600.00	480.00	511.53	220.00	300.00	523.48	1500.00	1500.00	627.99	570.00	200.00
4.11	चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01
5	स्वायत्त और अन्य निकायों को सहायता	1473.00	1096.03	1096.03	1266.00	894.00	894.00	1060.00	1352.97	1254.47	1991.00	1720.00
5.1	देव के लिए केंद्र। उन्नत कंप्यूटिंग (सी-डैक) के	120.00	120.00	120.00	127.00	127.00	127.00	200.00	217.00	212.00	300.00	250.00
5.2	इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र (सी-मेट)	30.00	33.25	33.25	50.00	40.00	40.00	80.00	78.00	60.00	100.00	100.00
5.3	एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के लिए सोसायटी (समीर)	90.00	100.00	100.00	98.00	88.00	88.00	120.00	116.00	90.00	130.00	150.00
5.4	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)	1227.00	836.78	836.78	985.00	613.00	613.00	600.00	884.97	884.97	1400.00	1110.00
5.5	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डीआईसी)	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	10.00	9.00	7.50	10.00	10.00
5.5	भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना संस्थान	-	-	-	-	20.00	20.00	50.00	48.00	0.00	51.00	100.00
	कुल योग	6654.00	5839.46	5798.30	6899.03	5550.00	5523.20	9720.66	9581.25	5716.63	16223.21	14300.00

8. 2021-22 के दौरान बीई से आरई में भिन्नता के कारणों और उन योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर जहां 2021-22 के दौरान लक्ष्य की प्राप्ति में बड़ी कमी आई है, मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित अनुमान के स्तर पर 139.41 करोड़ रुपये के आबंटन में कमी आई है। भिन्नता मुख्य रूप से पहली दो तिमाहियों में खर्च की कम गति के कारण है, जो कि दूसरी तिमाही में वित्त मंत्रालय द्वारा लगाए गए कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर और व्यय प्रतिबंधों के मद्देनजर है। "इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देना" एकमात्र प्रमुख योजना है जिसमें वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी का अनुमान लगाया गया है। कमी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए है कि इस योजना के तहत प्रमुख व्यय निवेशकों को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना में पूंजीगत व्यय में निवेश के लिए सब्सिडी के माध्यम से प्रोत्साहित करने से संबंधित है, और सब्सिडी जारी करना सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निवेशकों से आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्भर करता है।

9. 2021-22 और 2022-23 के लिए योजनाओं के लिए बजट अनुमान स्तर पर निधियों के आबंटन में अंतर के संबंध में मंत्रालय ने कहा है कि योजनाओं के संबंध में 2022-23 में बीई आबंटन 3869.85 करोड़ रुपये (बीई 2021-22 में 6806.33 करोड़ रुपये से बढ़ाकर बीई 2022-23 में 10,676.18 करोड़ रुपये) कर दिया गया है। निधियों के आवंटन में अंतर 'बड़े पैमाने के इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई' योजना के लिए अधिक आबंटन के कारण है, जो पहले "इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने" योजना के तहत एक घटक था।

10. उन योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर, जिनमें लगातार निधियों का कम उपयोग किया गया है, मंत्रालय ने कहा है कि पिछले तीन वर्षों (2019-20 से 2021-22) के दौरान बीई के तहत निधियों का लगातार कम उपयोग 'जनशक्ति विकास', 'इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा' और 'आईटी और आईटीईएस उद्योगों को बढ़ावा' योजनाओं द्वारा देखा गया है। कम उपयोग मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के

कारण है। हालांकि, यह अनुमान है कि कोविड की स्थिति में सुधार के साथ योजनाओं के प्रदर्शन में सुधार होगा।

11. मंत्रालय ने सूचित किया है कि 'बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई', जो वित्त वर्ष 2021-22 में 'इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा' योजना का एक घटक था, को 2022-23 के दौरान वरीयता दी गई है और इस योजना के तहत बजट अलग से आवंटित किया गया है। यह अनुमान है कि इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस योजना के अंतर्गत निवेशकों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त होंगे और मंत्रालय निधियों का कुशलतापूर्वक उपयोग करेगा और लक्ष्यों को प्राप्त करेगा।

12. यह इंगित किए जाने पर कि कई शीर्षों के तहत निधियों का लगातार कम उपयोग किया जा रहा है, सचिव, इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान कहा:

> "नहीं, यह 2016-17 में आरई का 102 प्रतिशत था; 2017-18 में, यह 100 प्रतिशत था; 2018-19 में, यह 100 प्रतिशत था; 2019-20 में, यह वर्ष के अंत में 99 प्रतिशत से अधिक था; 2021-22 में, यह फिर से 99.5 प्रतिशत था।...xxx... महोदय, पिछले दो वर्षों के बजट अनुमान की तुलना में दौरान 87 प्रतिशत और 80 प्रतिशत है। लेकिन कोविड और कई अन्य कारणों से आरई बजट में कटौती की गई थी। इसलिए, कभी-कभी आरई आंकड़ा बीई की तुलना में अधिक होता है या कभी-कभी यह कम होता है। लेकिन संशोधित अनुमान की तुलना में हमारा निष्पादन 99 प्रतिशत या उससे अधिक रहा है। मैंने वास्तव में, यह लगभग किसी भी अन्य क्षेत्र में सतत आधार पर नहीं देखा है। इसलिए, हम बजट का उपयोग करने में सक्षम हुए हैं। मैं पहले भी एक या दो बार इसका उल्लेख करना चाहता था, लेकिन मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि हम जो कुछ भी खर्च करते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा निवेश के रूप में माना जाना चाहिए न कि व्यय के रूप में। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि आवंटन करते समय और समीक्षा करते समय, इन्हें भारत की वर्तमान डिजिटल

क्षमताओं और भारत के डिजिटल भविष्य में व्यय के रूप में अधिक माना जाए।"

13. बजट आवंटन के बारे में विस्तार से बताते हुए सचिव,इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान कहा:

"कई शीर्षों में, बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है, और यहां तक कि चालू वर्ष की तुलना में, हमारा संशोधित अनुमान, संशोधित आंकड़ा 9,581.25 करोड़ रुपये है; और अगले वर्ष के लिए, यह 14,300 करोड़ रुपये है। इसलिए, हमें वास्तव में चालू वर्ष की तुलना में बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि दी गई है। पिछले कुछ वर्षों में भी, वृद्धि काफी महत्वपूर्ण रही है। मुझे याद है कि 2017-18 में यह 4,039 करोड़ रुपये था। वहां से, 14,300 करोड़ रुपये 350 प्रतिशत की उछाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह साढ़े तीन गुना तक बढ़ गया है। ऐसा मुख्यत: इसलिए हुआ है क्योंकि हमने बहुत बड़ी राष्ट्रव्यापी परियोजनाएं और कार्यक्रम शुरू किये हैं। इसके अलावा, बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अब सरकारी तन्त्र के भीतर हमारे प्रयासों की ओर न जाकर, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और उत्पादन और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने में; और उभरती प्रौद्योगिकियों में से कई के आसपास इसी तरह के पारिस्थितिक तंत्र के उत्प्रेरण के लिए दिया जाता है। प्राथमिक परिवर्तन, जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा, वह यह है कि सरकार के भीतर या हमारे संस्थानों के भीतर कार्य करने का प्रयास करने के बजाय, हम प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र के आसपास एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे हमारा सम्पर्क रहता हैं।"

14. 2021-22 के दौरान निधियों के उपयोग की स्थिति के बारे में उन्होंने आगे निम्नानुसार कहा:

"महोदय, कल तक के आंकडे 7,789 करोड़ रुपए हैं। यह लगभग 80 प्रतिशत तक आता है। हमें जो व्यय करना था, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर था। यह डिजिटल भुगतान में शामिल बैंकों और संस्थानों को व्यय की प्रतिपूर्ति की रूप में था।"

पांच. <u>राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के पास बकाया यूसी और अव्ययित शेष की स्थिति</u>

15. 31 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार बकाया यूसी और अव्ययित शेष की स्थिति नीचे दी गई है:

	राशि (करोड़ रुपये में)	**यूसी की संख्या**
उपयोगिता प्रमाण पत्र देय	635.89	220
अव्ययित शेष जिनके लिए यूसी देय नहीं हैं	3420.97	627
राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों के पास कुल अव्ययित शेष राशि	**4056.86**	**847**

16. 1.4.2021 और 01.02.2022 को लंबित यूसी की परिसमापन स्थिति निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

	01.04.2021 तक की स्थिति के अनुसार	**01.02.2022 तक की स्थिति के अनुसार**	**अंतर / परिसमापन**	**परिसमापन का%**
लंबित यूसी की संख्या	426	220	206	%48
बकाया राशि	1320.75	635.89	684.86	%52

17. राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा यूसी को समय पर प्रस्तुत करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों के संबंध में, मंत्रालय ने सूचित किया है कि अनुदान प्राप्त निकायों यूसी को समय पर प्रस्तुत करें इसके लिए मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं और ये उपाय शून्य लंबित यूसी और न्यूनतम अव्ययित शेष राशि की दिशा में बढ़ने में उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं:

- एमईआईटीवाई विभिन्न परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर योजनाओं/परियोजनाओं की कार्यान्वयन स्थिति की

निगरानी/समीक्षा कर रहा है जो यह भी सुनिश्चित करता है कि एमईआईटीवाई द्वारा जारी किए गए अनुदानों का उचित और उत्पादक तरीके से उपयोग किया जा रहा है।

- सचिव और वित्तीय सलाहकार (एमईआईटीवाई) विभिन्न एजेंसियों को जारी किए गए अनुदानों के उपयोग की स्थिति का पता लगाने के लिए समय-समय पर यूसी स्थिति की समीक्षा करते हैं।
- अनुदान प्राप्त निकायों को उनके पास अव्ययित शेष राशि को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किश्तों में अनुदान जारी किए जाते हैं।
- जब तक वे पिछले अनुदानों के उपयोग के साथ प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करते तब तक कोई और किस्त जारी नहीं की जाती है।
- परियोजना समीक्षा और संचालन समिति (पीआरएसजी) अनुमोदन के अनुसार परियोजना की प्रगति और निधियों के उपयोग की निगरानी और मूल्यांकन करती है और वित्तीय सहायता जारी करने के लिए सिफारिशें करती है।

<u>आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर)</u>

18. वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 के दौरान प्रस्तावित, बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान और वास्तविक तथा वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित और बीई निम्नानुसार हैं:

(रुपये करोड़ में)

आईईबीआर	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
प्रस्तावित	1108.47	1248.89	1619.08	1615.43	1632.98
बीई	1108.47	1248.89	1619.08	1615.43	1632.98
आरई	1160.77	1260.42	1498.07	1518.94	-
वास्तविक	1291.78	1934.36	1620.82	1192.15 (31.12.2021 की स्थिति के	-

				अनुसार)	
आरई के संदर्भ में %	111.28%	153.46%	108.19%	78.49%	-

19. जब समिति ने 2021-22 के दौरान बीई से आरई तक निधियों की कटौती के कारणों के बारे में जानना चाहा, तो मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दूसरे दौर को देखते हुए आईईबीआर लक्ष्य को संशोधित अनुमान 2021-22 में 96.49 करोड़ रुपये कम कर दिया गया है। हालाँकि, स्वायत्त निकाय आरई में लक्ष्यों को पार करने के प्रयास कर रहे हैं जैसा कि उन्होंने पिछले वर्षों में किया है। बीई 2022-23 में आईईबीआर का लक्ष्य बीई 2021-22 की तुलना में लगभग 17.50 करोड़ रुपये अधिक है। हालांकि, अधिकांश स्वायत्त सोसाइटी द्वारा की जा रही गतिविधियों/सेवाओं के विस्तार को ध्यान में रखते हुए, एमईआईटीवाई को उम्मीद है कि आईईबीआर की उपलब्धियां चालू वित्तीय वर्ष में उनके लक्ष्य से अधिक होंगी।

छह. <u>राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी)</u>

20. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सभी स्तरों पर सरकार - केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, 37 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और 720 से अधिक जिलों को आईसीटी सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रव्यापी नेटवर्क, निकनेट में सरकारी कार्यालयों के 1000 से अधिक लैन और 8000 से अधिक स्थानों पर 5 लाख से अधिक नोड्स शामिल हैं। एनआईसी के डाटा सेंटर सुरक्षित वातावरण में सरकार की 8000 से अधिक वेबसाइटों को होस्ट करते हैं। एनआईसी नेशनल क्लाउड (मेघराज) वर्तमान में डिजिटल इंडिया के तहत 1200 से अधिक ई-गवर्नेंस परियोजनाओं/उपयोगकर्ता विभागों को सपोर्ट करने वाले 20,000 से अधिक वर्चुअल सर्वरों पर कई महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को होस्ट कर रहा है। एनआईसी ईमेल सेवा @gov.in के प्राथमिक डोमेन के साथ भारत में सबसे बड़ी ई-मेल सेवाओं में से एक है। सेवा 2.7 मिलियन से अधिक खातों के साथ 1,276 से अधिक वर्चुअल डोमेन

को सपोर्ट करती है और दैनिक ईमेल ट्रैफ़िक प्रति दिन 4.5 करोड़, ई-मेल से अधिक है। एनआईसी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा सरकारी अधिकारियों को एक-दूसरे के साथ दूरस्थ और प्रभावी ढंग से जुड़ने में मदद कर रही है। राष्ट्रव्यापी डिजिटल अवसंरचना और सेवाओं को मजबूत करने के लिए उत्कृष्टता के विभिन्न केंद्र बनाए गए हैं।

21. पिछले तीन वर्षों के दौरान बीई, आरई, और वास्तविक व्यय और 2022-2023 के लिए बीई का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	**प्रस्तावित**	**होना**	**पुनः**	**वास्तविक**
2019-20	1650.00	1150.00	1257.91	1269.03
2020-21	1700.00	1285.00	1300.00	1308.19
2021-22	1700.00	1400.00	1400.00	* 1046.80
2022-23	1500.00	1450.00	-	-

***31.01.2022 तक* की स्थिति के अनुसार**

22. 2022-23 के दौरान प्रस्तावित राशि और बीई में किए गए आवंटन के बीच के अंतर के संबंध में और 2022-23 के दौरान निधियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में, मंत्रालय ने कहा कि मुख्य रूप से पूंजीगत बजट के तहत निधि की आवश्यकता को कम किया गया है। इसके कारण जिलों में आईसीटी के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए निधि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से काम किया जाएगा।

23. एनआईसी की व्यय भूमिका के बारे में, मंत्रालय ने सूचित किया कि एनआईसी का मुख्य फोकस नवीनतम अत्याधुनिक आईसीटी अवसंरचना प्रदान करना है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, जिलों और अन्य

सरकारी निकायों को ई-गवर्नेंस सहायता, अत्याधुनिक समाधान प्रदान करता है। एनआईसी केंद्र और राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ सहयोग में, डिजिटल प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशनों के विकास और कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं की अंतिम मील डिलीवरी एक वास्तविकता बन जाती है। एनआईसी बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए धीरे-धीरे अपने बुनियादी ढांचे का उन्नयन कर रहा है।

24. माननीय प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ, एनआईसी की भूमिका कई गुना बढ़ गई है। एनआईसी ने खुद को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के मिशन और विजन के साथ जोड़ लिया है। ग्रामीण विकास, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, कृषि, उद्योग और वाणिज्य, श्रम और रोजगार, न्यायपालिका, वित्त, शिक्षा आदि को कवर करने वाले महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों के लिए मोबाइल, क्लाउड, डेटा एनालिटिक्स, बीआई और उन्नत जीआईएस सहित अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके सामान्य, विन्यास योग्य ई-गवर्नेंस उत्पादों/एप्लीकेशनों को विकसित किया गया है। एनआईसीजी पर विभाग की कई मिशन मोड परियोजनाओं सहित विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के देशव्यापी कार्यान्वयन का दायित्व है। ई-कोर्ट, वर्चुअल कोर्ट, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान रथ, ई-उर्वरक, ई-ट्रांसपोर्ट, ई-हॉस्पिटल, ई-ऑफिस, ई-वेबिल, को-ऑपरेटिव कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीसीबीएस), इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग (आईवीएफआरटी), नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ई-काउंसलिंग, एनजीडीआरएस, जीईपीएनआईसी, ई-नीलामी इंडिया, दर्पण, परिवेश, सर्विसप्लस, ईएचआरएमएस, कोलाबडीडीएस, कोलाबकैड, एस3डब्ल्यूएएस आदि एनआईसी द्वारा शुरू की गई कुछ प्रमुख आईसीटी पहलें है।

25. परियोजनाओं के कार्यान्वयन में एनआईसी के समक्ष आ रही चुनौतियों/बाधाओं और उनके समाधान के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया है:

- एनआईसी ने केंद्र, राज्य और जिलों में शासन के सभी स्तरों पर नागरिक केंद्रित सेवाओं के समर्थन और वितरण के लिए विभिन्न आईसीटी पहल की है। जनशक्ति इन बाधाओं में से एक बाधा है। अन्य प्रमुख बाधा ई-गवर्नेंस परियोजनाओं और गतिविधियों के विशाल विस्तार के साथ देश भर में बुनियादी ढांचा है।
- जिला केंद्रों में प्रदान की गई आईसीटी अवसंरचना समय के साथ तकनीकी रूप से अप्रचलित हो गई है। जिला केंद्रों के उन्नयन के लिए निधि की आवश्यकता बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने और बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए है।
- कोविड-19 महामारी के प्रसार के दौरान, एनआईसी को आवश्यक सेवाओं में से एक के रूप में अधिसूचित किया गया था। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने महामारी द्वारा थोपी गई चुनौती को एक अवसर के रूप में स्वीकार किया और कोरोनो वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सभी प्रमुख क्षेत्रों- स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास, वित्त, सामाजिक कल्याण, न्यायपालिका और कई अधिक को समर्पित रूप से सेवा दी।

<u>सरकारी इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम जीआईएमएस (अब इसे 'संदेश' नाम दिया गया है)</u>

26. सरकारी इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम (जिसे अब संदेश नाम दिया गया है) एक खुला स्रोत आधारित, सुरक्षित, क्लाउड सक्षम और स्वदेशी मंच है जिसे एनआईसी द्वारा सरकार और नागरिकों के बीच तत्काल और सुरक्षित संदेश के लिए विकसित किया गया है। संदेश सिस्टम में ऐप, पोर्टल, गेटवे और वेब संस्करण शामिल हैं। मोबाइल आधारित स्व-पंजीकरण पीपी एक से एक को और समूह संदेश, आधिकारिक/आकस्मिक/सूची समूहों, फ़ाइल और मीडिया साझाकरण, ऑडियो/वीडियो कॉल, प्रोफ़ाइल और संपर्क प्रबंधन, संदेश प्रसारण, चैटबॉट सक्षम डैशबोर्ड और आधार प्रमाणीकरण को सपोर्ट करता है।

27. प्रयोक्ताओं को नि:शुल्क और सुरक्षित संदेश भेजने के लिए संदेश के साथ विभिन्न ई-गोव अनुप्रयोगों को एकीकृत किया जा रहा है। यह पहले से ही एनआईसी ईमेल, डिजिलॉकर और ई-ऑफिस के साथ एकीकृत है और संदेश के साथ एकीकृत कुछ ई-गॉव एप्लीकेशन हैं: ई-कोर्ट, परिचय, बीएचयूआईवाईएएन (छत्तीसगढ़ भूमि रिकॉर्ड), जीवन प्रमाण, जेकेयूबीईआर (एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, झारखंड), एफआरबीएएस-एमईआईटीवाई, एएंडएफ प्रतिबंध प्रबंधन प्रणाली, शुल्क पोर्टल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) आदि हैं।

28. प्रस्तुतीकरण, डेमो और हैंड होल्डिंग देकर विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में, 4.5 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं (सार्वजनिक और सरकार) और 160 संगठनों ने इस मंच का उपयोग करके 2.2 करोड़ संदेशों का आदान-प्रदान किया है। हाल ही में, नीति आयोग, भारत के चुनाव आयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और गृह मंत्रालय को प्रस्तुति दी गई थी। प्रस्तुतीकरण, डेमो और हैंड होल्डिंग देकर विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में, 4.5 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं (सार्वजनिक और सरकार) और 160 संगठनों ने इस मंच का उपयोग करके 2.2 करोड़ संदेशों का आदान-प्रदान किया है। हाल ही में, नीति आयोग, भारत के चुनाव आयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और एमएचए को प्रस्तुति दी गई थी। हाल ही में जिन कुछ संगठनों को ऑनबोर्ड किया गया है, उनमें ईसीआई, डाक विभाग, एनएसजी, डीईए, पावर ग्रिड, भूमि संसाधन विभाग, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, रक्षा संपदा महानिदेशालय और राज्य सरकार के कुछ विभाग शामिल हैं। सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सभी मुख्य सचिवों और सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को संदेश को आधिकारिक संचार चैनल के रूप में अपनाने के लिए लिखा है।

<u>पोषण ट्रैकर</u>

29. मंत्रालय ने बताया है कि 7 प्रकार के लाभार्थियों के पंजीकरण और निगरानी के लिए 14 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पोषण ट्रैकर मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। पोषण ट्रैकर सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध है।

30. एप विकसित करने के संबंध में सचिव, इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया:

> "पोषण ट्रैकर नामक एक और बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है जिसमें हम इसे लागू करने में महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ शामिल रहे हैं। पोषण ट्रैकर नामक एक और बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है जहां हम इसे शुरू करने में महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ शामिल रहे हैं। यह देश भर में लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है, जो शिशुओं, छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और युवा माताओं को पोषण प्रदान करने पर स्वास्थ्य की स्थिति और बच्चों के शारीरिक विकास की प्रगति की निगरानी करते हैं। यह सबसे आधुनिक वास्तुकला है, जिसे स्वदेश में विकसित किया गया था। यह एक राष्ट्रीयकृत प्रणाली है, जिसमें एनईजीडी को सौंपे जाने के समय से लेकर इसे क्षेत्र में रोल आउट करने तक लगभग ढाई महीने लग गए । यह एक शानदार काम है इसलिए मुझे लगा कि इसे यहां उजागर किया जाए । लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ऑनबोर्ड रखा गया है।"

सात. <u>विनियामक निकाय</u>

<u>साइबर सुरक्षा (सर्ट-इन), एनसीसीसी और डाटा शासन</u>

31. साइबर स्पेस इंटरनेट पर लोगों, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सेवाओं का एक जटिल वातावरण है। साइबरस्पेस आज नागरिकों, नागरिक समाज, व्यवसायों और सरकारों द्वारा संचार और सूचना के प्रसार के लिए उपयोग किया जाने वाला सामान्य उपकरण है। साइबर स्पेस को सुरक्षित रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के तहत भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन

प्रतिक्रिया टीम (सर्ट-इन) को साइबर सुरक्षा घटना की प्रतिक्रिया के क्षेत्र में राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70 बी के तहत नामित किया गया है। तहत भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सर्ट-इन) नियमित आधार पर कंप्यूटर और नेटवर्क की सुरक्षा के लिए नवीनतम साइबर खतरों/कमजोरियों और इनसे बचने के बारे चेतावनी और सलाह जारी करता है।

32. सर्ट-इन मौजूदा और संभावित साइबर सुरक्षा खतरों के बारे में आवश्यक स्थितिजन्य जागरूकता पैदा करने और व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा सक्रिय, निवारक और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए समय पर सूचना साझा करने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) भी स्थापित कर रहा है। एनसीसीसी के पहले चरण को जुलाई 2017 में चालू कर दिया गया है। पूर्ण पैमाने पर एनसीसीसी को 2022 के अंत तक अपेक्षित निधि और जनशक्ति की अपेक्षित उपलब्धता के साथ चालू करने की परिकल्पना की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से एनसीसीसी परियोजना को सर्ट-इन की नियमित गतिविधियों में मिला दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 से एनसीसीसी स्थापना घटक की बजट आवश्यकता को सर्ट-इन के नियमित बजट के साथ मिला दिया गया है। एनसीसीसी स्थापना घटक की बजट आवश्यकता को भी एफवाई 2021-22 से सर्ट-इन के नियमित बजट के साथ विलय कर दिया गया है।

33. 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए प्रस्तावित बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान और साथ ही वास्तविक निम्नानुसार हैं:

(रुपये करोड़ में)

	2018-19	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
प्रस्तावित	50.00	49.75	60.00*	500.00^	500.00^
बीई	40.00	42.00	140.00	216.00	215.00
आरई	31.83	35.00	90.00	213.30	-
वास्तविक	29.90	29.98	91.73	98.31 (31.01.2022	-

				को)	
आरई के संदर्भ में %	94%	86%	102%	46%	-

** बजट अनुमान 2020-21 में 80करोड़ रुपये की वृद्धि 67करोड़ रु. मशीनरी और उपकरण)एमएंड ई (के लिए 73करोड़ रुपये के स्थापना व्यय के संयोजन के कारण हुई है, जो पहले अलग से आवंटित किए गए थे।*

^ वित्तीय वर्ष 2021-22 में ,गैर-योजना मद के तहत एनसीसीसी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निधि राशि भी प्रस्तावित की गई थी। हालाँकि ,अनुमानित निधि राशि "साइबर सुरक्षा परियोजनाओं "योजना के तहत आवंटित की गई थी।

34. वर्ष 2021-22 के दौरान बजट अनुमान से संशोधित अनुमान को आबंटन में किसी प्रकार की वृद्धि/कमी के संबंध में और उपयोग की वास्तविक स्थिति के बारे में मंत्रालय ने बताया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में बीई स्तर पर निधि का आबंटन 216 करोड़ रुपये था जिसे संशोधित कर 213.30 करोड़ रुपये कर दिया गया (अर्थात बजट अनुमान का 98.75%)। आरई चरण में आबंटन में कोई उल्लेखनीय वृद्धि/कमी नहीं हुई है। 213.30 करोड़ रुपये के कुल आबंटन में से 90.68 करोड़ रुपये (27 जनवरी 2022 तक) का उपयोग किया गया है।

35. वर्ष 2022-23 के दौरान प्रस्तावित राशि और बीई में किए गए आवंटन के बीच के अंतर और 2022-23 के दौरान निधियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ सूचित किया है कि सर्ट-इन के लिए प्रस्तावित 263 करोड़ रु. के स्थान पर 215 करोड़ रु. आवंटित किये गये हैं। सर्ट-इन गतिविधियों के लिए पूंजीगत उपकरणों के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होगी और आरई चरण के दौरान इसकी मांग की जाएगी।

36. 2021-22 के दौरान हासिल किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा पूछे जाने पर, मंत्रालय ने सूचित किया कि सर्ट-इन सिस्टम और समाधान की निगरानी कर रहा है और नवीनतम साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने और शमन उपायों के लिए इसे बढ़ा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के भौतिक लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:

(i)	सर्ट-इन वेब और मेल गतिविधियों के लिए आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर	हासिल
(ii)	बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर के लिए मौजूदा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का वार्षिक रखरखाव	हासिल
(iii)	साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के लिए वार्षिक रखरखाव सॉफ्टवेयर	हासिल
(iv)	घटना प्रतिक्रिया के लिए मौजूदा सॉफ्टवेयर का वार्षिक रखरखाव	चल रही है
(v)	साइबर फोरेंसिक लैब के लिए उपकरणों का विस्तार	चल रही है
(vi)	बॉटनेट सफाई और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उन्नयन	चल रही है
(vii)	घटना प्रतिक्रिया और साइबर सुरक्षा ऑडिटिंग के लिए उपकरणों की खरीद	चल रही है

37. 2022-23 के लिए निर्धारित लक्ष्यों और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में मंत्रालय ने सूचित किया कि वित्त वर्ष 2022-23 में (बीई और आरई) लक्ष्य सर्ट-इन गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ-साथ स्थापना (वेतन, चिकित्सा, यात्रा, कार्यालय व्यय और प्रशिक्ष्ण आदि) के लिए पूंजीगत आईटी अवसंरचना वस्तुओं (हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग) की खरीद के लिए हैं।

38. वर्ष 2021 में सर्ट-इन ने 14,02,809 घटनाओं को निपटन किया। वर्ष 2021 के दौरान कुल 618 सुरक्षा अलर्ट, 52 एडवाइजरी और390 भेद्यता नोट जारी किए गए। सर्ट-इन ने सरकार, सार्वजनिक और महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों और संचार और सूचना अवसंरचना प्रदाताओं के लिए नवीनतम सुरक्षा खतरों, तकनीकों और उपकरण की जरूरतों, विकास और तैनाती के साथ सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में शिक्षित करने के लिए और सुरक्षा जोखिम को कम करने के लिए 19 साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। वर्ष 2021 के दौरान कुल 5169 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सर्ट-इन) में साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 क के तहत, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किये गये 'इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक' और साइबर सुरक्षा घटनाओं और साइबर अपराधों की जांच में सहायक के रूप में अधिसूचित किया गया है।

39. सामने आ रही प्रमुख बाधाओं और उनसे निपटने के लिए किए गए उपायों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने कहा है कि सर्ट-इन को घटनाओं और साइबर सुरक्षा के मुद्दों में तेजी से वृद्धि, ऑनसाइट प्रतिक्रिया सहित घटना प्रतिक्रिया गतिविधियों की तत्काल प्रकृति, प्रमुख वर्तमान के साथ-साथ नियोजित नई गतिविधियों/परियोजनाओं को बनाए रखने और उभरती प्रौद्योगिकियों और क्षेत्रों से संबंधित साइबर सुरक्षा मुद्दे समाधान करने के लिए अतिरिक्त जनशक्ति की तत्काल आवश्यकता है। इस चुनौती से निपटने के लिए सर्ट-इन ने विभिन्न स्तरों पर अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव पेश किया है।

<u>राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी)</u>

40. एनसीसीसी का उद्देश्य मौजूदा और संभावित साइबर सुरक्षा खतरों के बारे में आवश्यक स्थितिजन्य जागरूकता पैदा करना और व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा सक्रिय, निवारक और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए हितधारकों के बीच समय पर सूचना साझा करने में सक्षम बनाना है। वित्त वर्ष 2021-22 से एनसीसीसी परियोजना को सर्ट-इन की

नियमित गतिविधियों के साथ मिला दिया गया था। एनसीसीसी की बजट आवश्यकता को भी वित्त वर्ष 2021-22 से सर्ट-इन के नियमित बजट के साथ मिला दिया गया था। एनसीसीसी के पहले चरण को जुलाई 2017 में चालू कर दिया गया है। एनसीसीसी को 2022 के अंत तक अपेक्षित निधि और जनशक्ति की अपेक्षित उपलब्धता के साथ पूर्ण पैमाने पर चालू करने की परिकल्पना की गई है

41. एनसीसीसी का चरण एक- जुलाई, 2017 से आईएसपी की 20 साइटों और संगठनों से मेटाडेटा संग्रह और विश्लेषण के साथ चालू है। 265 और दूरस्थ स्थलों का एकीकरण प्रगति पर है और इसे वर्ष 2022 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एनसीसीसी के स्टेकहोल्डर साइबर खतरों का पता लगाने के लिए एकत्रित मेटाडेटा का विश्लेषण कर रहे हैं और भारतीय साइबर स्पेस को सुरक्षित करने के लिए उचित कार्रवाई कर रहे हैं। एनसीसीसी सेवाओं से मनाही, बोटनेट और मैलवेयर का प्रसार, सुभेद्यताओं का फायदा उठाकर विभिन्न संगठनों में कंप्यूटर सिस्टम की घुसपैठ, इंटरनेट ट्रैफिक हाईजैक, सार्वजनिक इंटरनेट सेवा के अवसंरचना का शोषण, अनधिकृत स्कैनिंग, आदि जैसे साइबर खतरों का पता लगाने के लिए 24x7 सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) चला रहा है, और भाग लेने वाले संगठनों, आईएसपी और हितधारकों को तत्काल सतर्क करता है।

42. चरण- II स्तर 1 का लक्ष्य अतिरिक्त 15 साइटों से मेटाडेटा का संग्रह और विश्लेषण करना है और इसे 2022 में चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।सर्ट-इन, वर्तमान में परियोजना के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कार्य कर रहा है और एनसीसीसी II- द्वितीय स्तर 2 शुरू किया है। वर्तमान में कार्यालय स्थान का नवीनीकरण चल रहा है। एनसीसीसी के लिए प्राथमिक और आपदा रिकवरी साइट के लिए डेटा सेंटर को-लोकेशन सेवाओं को किराए पर लेने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। अगले वर्ष में बजट की आवश्यकता मुख्य रूप से पूंजी आईटी अवसंरचना मदों (हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग) की खरीद और डेटा सेंटर सह-स्थान सेवाओं सहित अतिरिक्त 250 साइटों को पूरा करने के लिए स्थान की आवश्यकता के लिए होगी। चालू वित्त वर्ष में बजट अनुमान स्तर पर निधियों का आबंटन 167.00 करोड़ रु. था जिसे बढ़ाकर

रु. 306.00 करोड़ रु. कर दिया था। उपयोग में वृद्धि मुख्य रूप से पूंजीगत आईटी अवसंरचना मदों (हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग) की खरीद और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है अतिरिक्त 250 साइटों को पूरा करने के लिए डेटा सेंटर सह-स्थान सेवाओं सहित स्थान की आवश्यकता पर आवश्यक थी।

43. एनसीसीसी द्वारा राष्ट्रव्यापी हनीपोट्स के नियोजन की भी शुरूआत की गई है। संख्या विभिन्न सरकारी क्षेत्र, महत्वपूर्ण क्षेत्र, शैक्षणिक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों के नेटवर्क में कुल 750 हनीपॉट सेंसर्स को 2022 में तैनात करने की परिकल्पना की गई है योजना के तहत वर्तमान वित्त वर्ष में 306 करोड़ रुपये के कुल आवंटन में से 278.44 करोड़ रुपये (31 जनवरी, 2022 तक) की राशि का उपयोग किया गया है।

.44 साइबर सुरक्षा के लिए बजटीय आवंटन के संबंध में सचिव, इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

> "हमने और अधिक पैसे की मांग की है। हमने वास्तव में एनसीसीसी को बढ़ाया है। पांच साल पहले साइबर सुरक्षा के लिए दिए गए पैसे की तुलना में, अब यह 500 करोड़ रुपये से अधिक है। हम इसे दो शीर्षों के तहत प्रदान करते हैं- एक परियोजनाओं के लिए है और एक सर्ट-इन संगठन के लिए है। यदि आवश्यक हुआ, तो हम इसे और अधिक बढ़ाएंगे क्योंकि रैंपिंग अप साइड पर अवशोषित करने की एक निश्चित क्षमता है। रैंपिंग-अप को सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, स्थिर किया जाना चाहिए और आगे ले जाना चाहिए। अत: हम ऐसा कर रहे हैं। हम उस क्षेत्र में बहुत बड़ी पहलों की योजना बना रहे हैं।"

45. भारतीय साइबर सुरक्षा उत्पादों की मांग के संबंध में सचिव, इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आगे निम्नानुसार बताया:

> "हम भारतीय उत्पादों को विश्वसनीय उत्पादों के रूप में स्थापित कर रहे हैं। भारतीय आईटी सेवाओं को बहुत विश्वसनीय सेवाएं माना जाता है। इसलिए, हम उत्पादों में और इनमें से कुछ प्रणालियों में भी उस ब्रांड का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए, हम इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में और प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में

जो सामान उपयोग होता है उसे बहुत गहराई से देख रहे हैं। यह आसान नहीं है। यह कहना जितना आसान है करना उतना कठिन है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं और हम मानकों, प्रमाणन, परीक्षण आदि को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम वास्तव में कम से कम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम में क्या हो रहा है, ताकि हम उन लोगों के आसपास रूपरेखा बना सकें। साइबर सुरक्षा उत्पादों में बहुत अच्छी तेजी देखी गई है। हमने लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि देखी है, जो 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस खंड की बात कर रहे हैं, और हम भारतीय उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के लिए स्टार्टअप और कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए नैसकॉम और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ बहुत निकटता से मिलकर काम कर रहे हैं।"

आठ. <u>डिजिटल इंडिया कार्यक्रम</u>

<u>ईएपी सहित ई शासन</u>

46. इलेक्ट्रॉनिक शासन डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक उप-योजना है जिसका उद्देश्य डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल सेवाओं और डिजिटल सशक्तीकरण को सक्षम बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक शासन योजना का व्यापक उद्देश्य ई-सेवाओं के वितरण के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। ई-शासन डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक उप-योजना है जिसमें स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान), नेशनल डेटा सेंटर (एनडीसी) और स्टेट डेटा सेंटर (एसडीसी), मेघराज-सरकार ऑफ इंडिया क्लाउड पहल, सरकार का ई-मेल समाधान। भारत सरकार, प्रगति वीसी, डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे माईगव, डिजिटल लॉकर, ई-हस्ताक्षर , ई-हॉस्पिटल, नेशनल डेटा हाईवे, उमंग, एनसीओजी, ओपन सरकार डेटा, ई-ताल, रैपिड असेसमेंट सिस्टम (आरएएस), सेवाओं की प्रदायगी के माध्यम से सीएससी, वेब, कियोस्क और मोबाइल प्लेटफॉर्म, डिजिटल गांव और क्षमता विनिर्माण कार्यक्रम आदि जैसे डिजिटल अवसंरचना के विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं। प्रत्येक परियोजना की अपनी प्रारंभ होने की तिथि और पूरा होने की समय सीमा होती है।

47. इलेक्ट्रॉनिक शासन एक सतत् योजना है। यह योजना राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) की शुरुआत से ही प्रचालन में है और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तकनीकी विकासात्मक गतिविधियों को शामिल करने के लिए वर्षों से इसका विस्तार हो रहा है। वर्ष 2006 में शुरू की गई राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत समाहित कर दिया गया है जिसकी स्वीकृति 20 अगस्त, 2014 को दी गई थी और औपचारिक रूप से 1 जुलाई**,** 2015 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा आरम्भ किया गया था।

48. 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 के साथ-साथ 2022-23 के प्रस्तावित बीई, आरई और वास्तविक का प्रस्ताव इस प्रकार है:

(रुपये करोड़ में)

	2018-19	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
प्रस्तावित	371.00	1072.17	850.00	750.00	575.00
बीई	425.00	450.00	425.00	425.00	525.00
आरई	425.00	402.87	415.82	535.00	-
वास्तविक	421.65	402.06	404.99	192.08 (31.01.2022 की स्थिति अनुसार)	-
आरई के संदर्भ में %	99%	100%	97%	36%	-

49. जब 2021-22 के दौरान बीई से आरई तक आवंटन में वृद्धि के कारण बताने के लिए कहा गया, तो मंत्रालय ने कहा कि कुछ नई परियोजनाओं जैसे कि माई-गव द्वारा आईएनसीईपी, भारत सरकार के लिए सुरक्षित ईमेल सेवाएँ, ओपन सरकार डेटा (ओजीडी 2.), एनआईसी राष्ट्रीय क्लाउड सेवाओं में वृद्धि, आदि की शुरुआत के कारण निधि की

आवश्यकता बढ़ गई है। मौजूदा परियोजनाओं जैसे सीएससी, स्वान, एसडीसी, क्षमता विनिर्माण योजना, उमंग, डिजिटल लॉकर, ई-स्वास्थ्य केरल (ईएपी), आदि के लिए भी निधि की आवश्यकता होती है।

50. समिति को यह भी बताया गया है कि बजट अनुमान वर्ष 2022-23 के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी शासन योजना के लिए 525.0 करोड़ रुपये की निधि आबंटित की गई हैं। चल रही कोविड-19 महामारी के कारण, केवल आवश्यक नई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। कार्यान्वयन एजेंसियों को लंबित यूसी और उनके पास अव्ययित शेष की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निधि राशि जारी की जाएगी। यदि योजना में अधिक निधियों की आवश्यकता होती है, तो उसका अनुदान की अनुपूरक मांग/आरई चरण के माध्यम से उचित रूप से प्रावधान किया जाएगा।

51. योजना के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने कुछ उपलब्धियों के बारे में निम्नवत जानकारी दी:

- स्टेट डेटा सेंटर (एसडीसी) योजना के तहत अब तक, 30 एसडीसी को कार्यान्वित कर दिया गया है।
- सीएससी के अंतर्गत अब तक, देश भर में कुल 4.47 लाख कार्यात्मक सीएससी है जिनमें से 3.48 लाख ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर कार्यरत हैं।
- मेघराज और सीएसपी के अंतर्गत 18क्लाउड सेवा प्रदाताओं की क्लाउड सेवा पेशकशों को सूचीबद्ध किया है।
- डिजिटल लॉकर के अंतर्गत अब तक 9.23करोड़ से ज्यादा पंजीकृत उपयोगकर्ता हो चुके हैं। 486करोड़ प्रामाणिक दस्तावेज जारी किए गए हैं। 1695जारीकर्ता और 349अनुरोधकर्ता संगठनों को डिजिटल लॉकर में शामिल किया गया है।
- ई-हस्ताक्षर सेवा के अंतर्गत कुल 23.72 करोड़ ई-हस्ताक्षर जारी किए गए हैं ।

- जीवन प्रमाणके अंतर्गत 557.63 लाख से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र संसाधित किए जा चुके हैं।
- 631 अस्पतालों को ई-अस्पताल पर सम्बद्ध किया गया है,
- 28 राज्यों/ 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 709 जिलों में कुल 3,916 ई-जिला सेवाएं शुरू की गई हैं।

52 जब समक्ष आ रही प्रमुख बाधाओं और उनके समाधान के लिए किए गए उपायों के बारे में पूछा गया, तो मंत्रालय ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक शासन योजना के कार्यान्वयन में सामने आ रही प्राथमिक चुनौतियां डिजिटल साक्षरता और डिजिटल कनेक्टिविटी हैं। इन चुनौतियों के अलावा, डिजिटल डिवाइड गैप को भी इस तथ्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है कि कमजोर वर्गों से संबंधित कई नागरिक डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाने से वंचित हैं। सरकार ने 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को कवर करने के उद्देश्य से ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता शुरू करने के लिए प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) को लागू करके और देश में सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों (जीपी) को 100 एमबीपीएस कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के उद्देश्य से भारतनेट परियोजना शुरू करके इन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक उपाय पहले ही कर लिए हैं।

<u>डिजिटल लॉकर</u>

53. डिजिटल लॉकर डिजिटल रिपॉजिटरी में दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए जारीकर्ताओं के लिए रिपॉजिटरीज़ और गेटवे के संग्रह के साथ एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है। अब तक डिजिलॉकर के 9.23 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। 486 करोड़ प्रमाणिक दस्तावेज जारी किए गए हैं। 1695 जारीकर्ता और 349 अनुरोधकर्ता संगठनों को ऑन-बोर्ड किया गया है।

54. डिजिटल लॉकर पहल के बारे में विस्तार से बताते हुए, सचिव, इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

"हाल की अवधि में प्रमुख पहल डिजिलॉकर का विशाल अप स्केलिंग है। डिजिलॉकर सभी नागरिकों को उनके अपने प्रकाशित दस्तावेजों, आईडी आदि को स्टोर करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है, उदाहरण के लिए, आपका आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन पंजीकरण या पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र, कॉलेज की डिग्रियां। ये सभी और अधिक उपलब्ध हैं। इस पर उपलब्ध दस्तावेजों की संख्या 490 करोड़ से अधिक है। बेशक, इसमें आधार भी शामिल है जो लगभग 120 करोड़ या उससे अधिक है। पहले यह इस पूरी संख्या की तुलना में बहुत बड़ा होता था, लेकिन अब ऐसे अन्य लोग हैं जो इसमें शामिल हो गए हैं। इसीलिये दस्तावेजों की संख्या इतनी अधिक है। जारीकर्ता संगठन जिनमें भूमि अभिलेखों को सम्भालने वाले या जाति प्रमाण पत्र और शैक्षिक प्रमाण पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन आदि को संभालने वाले विश्वविद्यालय या संगठन शामिल हैं जो कुल 1729 है, मेरे विचार से, यह पिछले एक वर्ष में काफी बढ़ गया है। अनुरोधकर्ता संगठनों की संख्या जिन्हें हम इनके लिंक भी प्रदान करते हैं ताकि वे अपनी सेवाओं में सुधार करने के लिए उन्हें सेवाओं में शामिल कर सके, अब लगभग 354 है। डिजिलॉकर के उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ कर लगभग 9 करोड़ हो गयी है। पिछले एक साल में, 1.5 करोड़ उपयोगकर्ताओं को जोड़ा गया था। राष्ट्रीय अकादमिक निक्षेपागार, विश्वविद्यालयों से सभी प्रमाण पत्र, और इस वर्ष हम लगभग 1000 विश्वविद्यालयों को इसमें में लाए हैं, और वह भी उन्हें इसमें शामिल होने में राजी करने के लिए वास्तव में, उनमें से किसी के भी पास भौतिक रूप में गये बिना शामिल कर लिया गया। इसलिए, यह सब डिजिटल और दूरस्थ रूप से किया गया था। हमने विश्वविद्यालयों को हैंड-होल्डिंग प्रदान की है ताकि वे जारी किए गए डिग्री प्रमाणपत्रों के अपने भंडारों को राष्ट्रीय अकादमिक भंडार के साथ जोड़ सकें और राष्ट्रीय अकादमिक भंडार के माध्यम से छात्र किसी भी समय अपनी डिग्री योग्यता तक पहुंच प्राप्त कर सकें। इसलिए, यह सब डिजिटल और दूरस्थ रूप से किया गया था। हमने विश्वविद्यालयों को हैंड-होल्डिंग प्रदान की है ताकि वे जारी किए गए डिग्री प्रमाणपत्रों के अपने भंडारों को राष्ट्रीय अकादमिक भंडार के साथ जोड़ सकें और राष्ट्रीय अकादमिक भंडार के माध्यम से छात्र किसी भी समय अपनी डिग्री योग्यता तक पहुंच प्राप्त कर सकें। इसलिए, यह सब

डिजिटल और दूरस्थ रूप से किया गया था। हमने विश्वविद्यालयों को हैंड-होल्डिंग प्रदान की है ताकि वे जारी किए गए डिग्री प्रमाणपत्रों के अपने भंडारों को राष्ट्रीय अकादमिक भंडार के साथ जोड़ सकें और राष्ट्रीय अकादमिक भंडार के माध्यम से छात्र किसी भी समय अपनी डिग्री योग्यता तक पहुंच प्राप्त कर सकें। वे उन्हें आगे की शिक्षा के लिए या रोजगार के उद्देश्यों के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं और ये डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज हैं जो ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने या प्रतियां लेने की आवश्यकताओं को कम करते हैं।"

55. डिजिलॉकर की स्वीकार्यता के संबंध में, समिति को सूचित किया गया है कि यह प्रणाली आज के अधिकांश अतिविकसित देशों की प्रणाली की तुलना में बेहतर है। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि कोई भी नागरिक अभी तक बिना किसी शुल्क के लॉकर खोल सकता है। यह अभी भी प्रचार के चरण में है।

56. यह पूछे जाने पर कि क्या डिजीलाकर में संग्रहीत किया जा सकने वाले दस्तावेजों की संख्या पर कोई अधिकतम सीमा है, सचिव ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया:

"हाँ जी, सर। यदि आप अपने स्वयं के दस्तावेज अपलोड करते हैं, तो 10 जीबी तक कोई प्रतिबंध नहीं है। सभी डिजिटल हस्ताक्षरित दस्तावेज पहले से ही विभागों से उपलब्ध हैं। आपको इसे केवल अपने डिजिलॉकर के साथ लिंक करना होगा और आप ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, आदि जैसे अपने 15 दस्तावेजों तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम हैं, यदि आपको यातायात पुलिस निरीक्षक द्वारा रोका जाता है तो इसे दिखाया जा सकता है। यह एक मान्य दस्तावेज है। आपको अपने साथ भौतिक दस्तावेज़ रखने की आवश्यकता नहीं है। अधिक से अधिक राज्य सरकारों ने वास्तव में इस मुद्दे पर विस्तृत अनुदेश जारी किए हैं और इसलिए डिजिलॉकर का उपयोग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। डिजिलॉकर ई-हेल्थ लॉकर का भी होस्ट है या इसकी की स्थापना की सुविधा प्रदान कर रहा है। जबकि स्वास्थ्य लॉकर सेवाएं अन्य निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा भी प्रदान की जाएंगी, यह वह सेवा है जो सरकार से डिफ़ॉल्ट रूप से और मुफ्त में उपलब्ध है ताकि नागरिकों को अन्य सेवाओं की खोज न करनी पड़े। लेकिन जो लोग अन्य

सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, उनके लिए यह एक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र है। इसका अर्थ है, कि यह वह जगह है जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते के लिए महत्वपूर्ण है।"

57. निजता के मुद्दे पर उन्होंने आगे निम्नवत कहा:

"यह पूर्णतया वैश्विक मानकों के अनुरूप है। यह सहमति पर आधारित है। यदि कुछ भी किया जाता है, तो यह व्यक्ति की स्पष्ट और सूक्ष्म सहमति के साथ होता है। सहमति के रूप में कुछ भी नहीं माना जा सकता है। यह एक स्पष्ट सहमति होनी चाहिए जिसे हम लेते हैं और उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि यह एक संवेदनशील क्षेत्र है। अत, हम इस बात का ध्यान रखते हैं। यह हमारे आर्किटेक्चर और डिजाइन का हिस्सा है। लेकिन डिजिलॉकर अपने आप में लोगों को कागज के रिकॉर्ड को ले जाने या देखने या मुद्रित प्रमाण पत्रों की तलाश करने की आवश्यकता समाप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली साधन है, और पूरी तरह से काम करने के डिजिटल तरीके पर लाता है। यह उसी प्रकार की सुविधा है जो हमें अब तक भौतिक कार्ड के बजाय डिजिटल पहचान के रूप में आधार से मिली है। यह महत्वपूर्ण है। हम यही सुविधा बड़ी संख्या में अन्य दस्तावेजों के लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं।"

<u>जनशक्ति विकास</u>

58. जनशक्ति विकास योजना के तहत, इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी उद्योग के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गतिविधियों को लक्षित किया जाता है। पहलों में औपचारिक क्षेत्र से उभरने वाले अंतरालों की पहचान करना और इन अंतरालों को पूरा करने के लिए गैर-औपचारिक और औपचारिक क्षेत्रों में योजना कार्यक्रम शामिल हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी और संबंधित क्षेत्रों के क्षेत्र में कौशल विकास भी शामिल है। इलैक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी क्षेत्र के लिए मानव संसाधन विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं को अनुमोदित/कार्यान्वित किया जा रहा है।

59. 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 के साथ-साथ 2022-23 के प्रस्तावित बीई, आरई और वास्तविक का प्रस्ताव इस प्रकार है:

(रुपये करोड़ में)

	2018-19	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
प्रस्तावित	500.00	702.53	550.00	500.00	450.00
बीई	300.00	400.75	430.00	400.00	350.00
आरई	300.00	338.00	190.00	400.00	-
वास्तविक	300.00	337.97	190.00	85.15 (31.01.2022 की स्थिति के अनुसार)	-
आरई के संदर्भ में %	100%	100%	100%	21%	-

60. वर्ष 2021-22 के लिए 3.0 लाख उम्मीदवारों का कौशल विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से अब तक लगभग 2.50 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जा चुका है। चूंकि प्रशिक्षण/प्रमाणन एक सतत प्रक्रिया है, शेष लक्ष्य दिनांक 31-03-2022 तक प्राप्त किए जाने की संभावना है। वर्ष 2022-23 के लिए 3.30 लाख उम्मीदवारों के कौशल विकास का लक्ष्य प्रस्तावित है। एमईआईटीवाई की स्वायत्त समितियों नाइलिट, सी-डैक, आदि द्वारा लाभार्थियों के प्रशिक्षण के माध्यम से और इन संगठनों के साथ-साथ अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा विभिन्न कौशल विकास परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा।

61. मंत्रालय ने बताया है कि जनशक्ति विकास योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं/गतिविधियों के कार्यान्वयन में कोविड-19 महामारी का प्रकोप प्रमुख बाधा थी। कोविड-19 महामारी के चरम के दौरान, प्रशिक्षण केंद्र संबंधित केंद्रीय/राज्य/जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/निर्देशों के अनुरूप नहीं चल रहे थे।

प्रशिक्षण को फिर से शुरू करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- लॉकडाउन की परिस्थिति के समय सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई छूट के अनुरूप ,कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा केंद्रों को एक श्रेणीबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया गया था।
- प्रशिक्षण केंद्रों के साथ वर्चुअल सत्र और कार्यशालाएं आयोजित की गईं ताकि उन्हें अपनी गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित किया जा सके।
- यह सुझाव दिया गया था कि जहां कहीं संभव हो सामाजिक दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए और आवश्यक हो, प्रशिक्षण ऑनलाइन मोड/डिजिटल प्रदायगी हेतु व्यवहारिक व क्रियाशील के साथ आयोजित किया जा सकता है।
- जनशक्ति विकास की विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के हितधारकों को मुद्रित हैंडबुक, सैद्धांतिक नोट्स और प्रशिक्षण के सिद्धांत वर्गों से संबंधित अन्य दस्तावेजों के डिजिटल संस्करण के माध्यम से प्रशिक्षण को लागू करने का सुझाव दिया गया था, जो उम्मीदवारों को किसी पोर्टल या किसी ऐप/सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध कराया जा सकता है।
- योजना के प्रशिक्षण/कौशल विकास के साथ आगे बढ़ने के लिए मीडिया और विज्ञापन के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के बारे में जागरूकता का भी सुझाव दिया गया था।
- विभिन्न क्षेत्रों में सीखने की गुणवत्ता, सूचना सामग्री वितरण की गुणवत्ता और रोजगार योग्यता कौशल को बढ़ाने के लिए कुछ डिजिटल प्रशिक्षण मॉड्यूल की शुरूआत का भी सुझाव दिया गया था।

<u>फ्यूचर स्किल्स प्राइम</u>

62. एमईआईटीवाई और नैसकॉम ने संयुक्त रूप से "फ्यूचर स्कील प्राईम (रोजगार के लिए आईटी जनशक्ति के पुन: कौशल/उन्नयन-कौशल के लिए कार्यक्रम)" नामक एक नई पहल की कल्पना की है, जिसका उद्देश्य 'बी2सी के लिए निरंतर कौशल की सुविधा के

लिए 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों (यानी वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, एडिटिव विनिर्माण /3डी प्रिंटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल एंड मोबाइल, साइबर सुरक्षा और ब्लॉकचैन) में पुन: कौशल/उन्नयन-स्किलिंग पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और स्व-गतिशील डिजिटल कौशल वातावरण में पेशेवरों की उनकी आकांक्षाओं और योग्यता के अनुरूप ज्ञान वृद्धि करना' है। इस पहल के तहत 4.12 लाख लाभार्थियों के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है (4 लाख पेशेवर, 10,000 सरकारी अधिकारी और 2,000 प्रशिक्षक)। फ्यूचर स्किल्स प्राइम पोर्टल पर अब तक 5.63 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 1,08,436 उम्मीदवारों ने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है।

<u>राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क</u>

63 राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) का उद्देश्य देश भर के सभी ज्ञान संस्थानों को उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क के माध्यम से अंतर संबद्ध करना है ताकि संसाधनों साझा करने और सहयोगी अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जा सके। उच्च शिक्षा और अनुसंधान के संस्थानों को आपस में सम्बनद्ध करने के लिए एक उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क स्थापित किया गया है। मार्च 2010 में, सीसीआई ने 5,990 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) की स्थापना को मंजूरी दी, जिसे एनआईसी द्वारा 10 वर्षों की अवधि में लागू किया जा रहा है। एनकेएन की अवधि 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है।

64. 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 के साथ-साथ 2022-23 के प्रस्तावित और बीई निम्नवत है:

(रुपये करोड़ में)

	2018-19	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
प्रस्तावित	500.00	1000.00	500.00	785.00	650.00
बीई	150.00	160.00	400.00	500.00	650.00

आरई	320.00	274.64	584.00	500.00	-
वास्तविक	320.00	274.64	584.00	500.00	-
आरई के संदर्भ में %	100%	100%	100%	100%	-

65. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए नए लिंक हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि एनकेएन के वर्तमान चरण की अवधि 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। नेटवर्क में कोर लिंक शामिल हैं। संस्थानों के लिए 1752 लिंक और जिलों के लिए प्रचालनरत किए गए हैं जिलों के 522 लिंक्स को कार्यान्वित रखा गया है। एनकेएन के अगले चरण, यानी डिजिटल इंडिया इंफोवे (डीआईआई) की स्वीकृति प्रक्रिया आगे के चरण में चल रही है।

66. एनकेएन के अगले चरण, यानी डिजिटल इंडिया इंफोवे (डीआईआई) की स्वीकृति प्रक्रिया एक उन्नत चरण में है। डीआईआई का उद्देश्य खंडित डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे कि क्षेत्रीय नेटवर्क, डेटा केंद्र, गेटवे, अन्य अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान और शिक्षा नेटवर्क (आरईएन), आईएसपी, आदि के साथ मिलकर उनके नेटवर्क टोपोलॉजी और प्रौद्योगिकी के बावजूद एक एकीकृत सरकारी नेटवर्क बनाना है डीआईआई एक सुरक्षित, स्केलेबल, सुदृढ, डिजिटल बैकबोन और "नेटवर्क का नेटवर्क" होगा जो 2 कार्यक्षेत्रों में विभाजित होगा: राष्ट्रीय अनुसंधान और शिक्षा नेटवर्क (एनआरईएन) और राष्ट्रीय सरकार नेटवर्क (एनजीएन)। एनआरईएन ज्ञान के क्षेत्र में सभी हितधारकों - वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, डॉक्टरों, छात्रों, आदि को विभिन्न पृष्ठभूमि और विविध भौगोलिक क्षेत्रों से सेवा प्रदान करेगा। एनजीएन अंतरसम्बंद्ध शासन अवसंरचना होगा जो सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों में ई-शासन क्षेत्रों में सहायता करेगा। डीआईआई प्रभावी शासन की आवश्यकता को संबोधित करेगा और अनुसंधान और शैक्षिक संस्थानों के बीच सहयोग और ज्ञान संसाधन साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा।

67. मंत्रालय ने बताया है कि डीआईआई के लिए प्रथम वर्ष का प्रस्तावित अनुमानित परिव्यय 786 करोड़ रुपये है, तथापि, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आवंटन 650 करोड़ रुपये है। अनुदान की अनुपूरक मांग में अतिरिक्त धनराशि की मांग करने के प्रयास किए जाएंगे।

68. डीआईआई के संबंध में सचिव, इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

> "यह डिजिटल इंडिया इन्फोवे हमारे राष्ट्रीय नेटवर्क के आधुनिकीकरण का हमारा प्रयास है। यह सरकारी नेटवर्क को एक ही भौतिक माध्यम पर किए गए अनुसंधान और शिक्षा नेटवर्क के साथ जोड़ता है, लेकिन तार्किक रूप से पूरी तरह से अलग रहता है ताकि सभी चिंताओं का ध्यान रखा जा सके। यह नेटवर्कों का एक नेटवर्क है जो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी संस्थानों को जोड़ने और नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए हमारे राष्ट्रीय प्रयासों के लिए बहुत अधिक, बहुत अधिक गति और थ्रूपुट प्रदान करेगा और लचीलापन भी प्रदान करेगा।"

<u>इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा</u>

69. वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-20, 2020-21, 2021-22 के लिए प्रस्तावित राशि, बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक राशि और वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित राशि और बीई का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
प्रस्तावित	1800.00	1600.00	1545.00	4200.00	2405.00
बीई	864.22	986.00	980.00	2631.32	2403.00
आरई	844.22	690.00	700.00#	2014.00	-
वास्तविक	727.35	655.08	478.62	758.09* (31.01.2022	-

				को)	
आरई के संदर्भ में %	86%	95%	68%	38%	-

* 874 करोड़ रुपये के लिए प्रस्ताव अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं (एमसिप्स- 340 करोड़; एसपीईसीएस- 50 करोड़; पीएलआई -484 करोड़) ।

आरई चरण के बाद, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए निधि को और घटाकर 478.62 करोड़. रूपए किया गया है।

70. वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

क्रमांक	**योजना/कार्यक्रम का नाम**	**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**
		लक्ष्य	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**
1.	**इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देना**	**एमसिप्स और एसपीईसीएस-** 430	215.79	1401	234.13	1250
		ईएमसी और ईएमसी 2.0- 139	139	300	235.06	350
		ईडीएफ- 30	77.37	60	42.72	-
		पीएलआई	-	900	*	4,578
		सेमीकॉन इंडिया	-	-	-	1280

* 874 करोड़ रुपये के लिए प्रस्ताव अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं (एमसिप्स- 340 करोड़ रुपये; एसपीईसीएस-50 करोड़ रुपये; पीएलआई- 484 करोड़)

(एक) <u>बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हेतु उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना</u>

71. यह योजना, 1 अप्रैल, 2020 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-01042020-218990 के तहत अधिसूचित है, वृद्धिशील बिक्री पर 4% से 6% (आधार वर्ष से अधिक) का पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए असेंबली, परीक्षण, अंकन और पैकेजिंग (एटीएमपी) इकाइयों सहित विविनिर्मित निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों के मोबाइल फोन के विनिर्माण को शामिल की गई पात्र कंपनियों हेतु प्रोत्साहन प्रदान करती है।

72. कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में बताया है कि बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण (मोबाइल फोन और घटक) के लिए पीएलआई योजना वैश्विक और साथ ही घरेलू मोबाइल विनिर्माण कंपनियों से प्राप्त अत्यधिक रुचि के संबंध में अत्यधिक सफल रही है। अगले 5 वर्षों में, इस योजना से लगभग 10.5 लाख करोड़ रुपये का कुल उत्पादन होने की उम्मीद है। इस योजना से निर्यात को भी काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कुल उत्पादन में से, 6.5 लाख करोड़ रुपये के ऑर्डर के निर्यात से 60% से अधिक का योगदान होने की उम्मीद है। यह योजना इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण में 11,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश लाएगी। पीएलआई योजना भारतीय ब्रांडों को पुनर्जीवित करके और भारतीय ईएमएस कंपनियों को सुदृढ़ करके घरेलू चैंपियन कंपनियों को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी।

73. मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण में निवेश आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के पहले दौर की सफलता के बाद, इलेक्ट्रॉनिक घटकों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना का दूसरा दौर 11.03.2021 को शुरू किया गया था। दूसरे दौर के तहत, चार वर्ष की अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25) के लिए पात्र कंपनियों को, भारत में विनिर्मित और लक्ष्य खंड के तहत शामिल किए गए माल की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष यानी 2019-20 से अधिक) पर 5% से 3% का प्रोत्साहन बढ़ाया जाएगा। अगले 4 वर्षों में, 16 स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माताओं से कुल 12,432 करोड़

रुपये तक का उत्पादन होने की उम्मीद है। योजना का दूसरा दौर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण में 573 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश लाएगा। माननीय केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 28.06.2021 को कोविड-19 महामारी से प्रभावित पीएलआई योजना के तहत अनुमोदित कंपनियों को राहत प्रदान करने के लिए की गई घोषणा के अनुसार, पीएलआई योजना का कार्यकाल एक वर्ष यानी 2024-25 से 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में अधिसूचना दिनांक 23.09.2021 को जारी की गई थी।

(दो) <u>आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन संबद्धी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना</u>

74. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पादों सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों में 24.02.2021 को आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दे दी है। आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) में भारत में विनिमत और लक्ष्य खंडों के तहत कवर किए गए माल की निवल वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष से अधिक) पर पात्र कंपनियों को चार (4) वर्षों की अवधि के लिए 4% से 2% / 1% का प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है।

75. आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना को 30.04.2021 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खोला गया था। पीएलआई योजना के तहत कुल 14 कंपनियों को मंजूरी दी गई है। अगले 4 वर्षों में, योजना के तहत 14 अनुमोदित कंपनियों से लगभग 1,60,000 करोड़ रुपये का कुल उत्पादन होने की उम्मीद है। अगले 4 वर्षों में 1,60,000 करोड़ रुपये के कुल उत्पादन में से 37% से अधिक का योगदान लगभग 60,000 करोड़ रुपये के निर्यात से होने की उम्मीद है। इस योजना से इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण में 2,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश आने की उम्मीद है। आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना के तहत 36,066 अतिरिक्त प्रत्यक्ष रोजगार और चार गुना अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन होने की उम्मीद है।

76. दो उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमें घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और क्रमश मोबाइल फोन और विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों और आईटी हार्डवेयर में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए पीएलआई योजना के तहत, भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष 2019-20 में) पर 6% से 3% का प्रोत्साहन दिया जाएगा और पांच साल की अवधि के लिए पात्र कंपनियों को लक्ष्य खंड के तहत कवर किया जाएगा। आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना के तहत, भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष 2019-20 में) पर 4% से 2% का प्रोत्साहन दिया जाएगा और चार साल की अवधि के लिए पात्र कंपनियों को लैपटॉप, सर्वर, टैबलेट और ऑल-इन-वन पीसी के लक्षित खंडों के तहत कवर किया जाएगा।

77. बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना और आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना के लिए 2022-23 के लिए 4056 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। पीएलआई अनुमोदित कंपनियों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ताकि उनके उत्पादन और निवेश को ट्रैक किया जा सके, और उनके सामने आने वाले मुद्दों को भी हल किया जा सके।

(तीन) सेमिकोन इंडिया : सेमीकंडक्टर और प्रदर्शन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए कार्यक्रम

78. आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में स्थायी अर्धचालक और प्रदर्शन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये के सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। कार्यक्रम का उद्देश्य सेमीकंडक्टर और प्रदर्शन विनिर्माण में लगी कंपनियों को आकर्षक प्रोत्साहन सहायता प्रदान करना है। यह सामरिक महत्व और आर्थिक आत्मनिर्भरता के इन क्षेत्रों में भारत के तकनीकी नेतृत्व के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। उक्त कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित चार योजनाएं शुरू की गई हैं:

i. भारत में सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना की योजना सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना के लिए पात्र आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिसका उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करना है। योजना के तहत निम्नलिखित वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई है:

- 28 एनएम या उससे कम - परियोजना लागत का 50% तक
- 28 एनएम से 45 एनएम से अधिक - परियोजना लागत का 40% तक
- 45 एनएम से 65 एनएम तक - परियोजना लागत का 30% तक

ii. भारत में डिस्प्ले फैब स्थापित करने की योजना योग्य आवेदकों को डिस्प्ले फैब की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिसका उद्देश्य देश में टीएफटी एलसीडी/एएमओएलईडी आधारित डिस्प्ले फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करना है। यह योजना प्रति फैब 12,000 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन परियोजना लागत के 50% तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

iii. भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी)/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए योजना: यह योजना योग्य आवेदकों को पूंजीगत व्यय के 30% की वित्तीय सहायता भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स/ सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच)/सेंसर (एमईएमएस सहित) फैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना हेतु प्रदान करती है।

iv. डिजाइन संबद्ध प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना वित्तीय प्रोत्साहन, विकास के विभिन्न चरणों में डिजाइन अवसंरचना सपोर्ट और इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी), चिपसेट, सिस्टम ऑन चिप्स (एसओसी), सिस्टम और आईपी कोर और सेमीकंडक्टर संबद्ध डिजाइन के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन की के नियोजन की पेशकश करती है। यह योजना पात्र व्यय के 50% तक "उत्पाद डिजाइन संबद्ध प्रोत्साहन" प्रदान करती है, जो प्रति एप्लिकेशन 15 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन है और 5 वर्षों में शुद्ध बिक्री कारोबार के 6% से 4% तक

प्रति एप्लिकेशन 30 करोड़ रुपये की सीमा की शर्त के अधीन"परिनियोजन संबद्ध प्रोत्साहन" प्रदान करता है।

79. उपरोक्त योजनाओं के अलावा, सरकार ने सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला, मोहाली के ब्राउनफील्ड फैब के रूप में आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के भीतर एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग के रूप में भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) की स्थापना के लिए भी मंजूरी दी गई थी, जिसमें अर्धचालक विकसित करने और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने के लिए भारत की रणनीतियों को चलाने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता थी। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उद्योग में वैश्विक विशेषज्ञों के नेतृत्व में आईएसएम योजनाओं के कुशल, सुसंगत और सुचारू कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा।

80. कैबिनेट द्वारा कुल स्वीकृत व्यय परिव्यय आईएनआर 3,285 करोड़ (32 करोड़ तक के प्रशासनिक व्यय सहित) है। कार्यकारी समिति (ईसी) ने दिनांक 31.01.2022 तक अनुमोदन के लिए 20 आवेदनों की सिफारिश की है और सभी को 6,976 करोड़ रुपये के कुल परियोजना परिव्यय और 1,236 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध प्रोत्साहन के साथ अनुमोदन पत्र जारी किया गया है। स्वीकृत आवेदनों की कुल रोजगार सृजन क्षमता 28,845 (अट्ठाईस हजार आठ सौ पैंतालीस) है।

81. सेमीकंडक्टरों के विकास की योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए, मंत्रालय के सचिव ने साक्ष्य के दौरान निम्नानुसार बताया:

"हाल ही में, पिछले साल 15 दिसंबर को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सेमिकन्डक्टर्स और प्रदर्शन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए एक योजना को स्वीकृति दी थी। इस बार, इसमें न केवल सिलिकॉन वेफर फैब्स होंगे, बल्कि यौगिक अर्धचालक फैब्स, चिप्स की पैकेजिंग, डिस्प्ले फैब्स भी है, जो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया के मुश्किल से 4-5 देशों के पास यह तकनीक है। सेमीकंडक्टर डिजाइन आज हमारी ताकत है लेकिन हमारे पास अपनी कंपनियां नहीं हैं। हम दुनिया के लिए डिजाइन कर रहे हैं। हम उन कंपनियों के लिए डिजाइन कर रहे हैं जो बाहर से आती हैं लेकिन हम अपना खुद का आईपी,

अपना खुद का डिजाइन बनाकर और उन्हीं कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में खड़े नहीं हो रहे हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र के उस हिस्से को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, और यह अर्धचालक प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन में मदद करेगा, और अंततः इसे आगे बढ़ाएगा। हमें उम्मीद है कि यह न केवल एक प्रौद्योगिकी सफलता होगी, बल्कि एक व्यावसायिक सफलता भी होगी। अत: हमें वह अधिदेश सौंपा गया है। एससीएल को वास्तव में अंतरिक्ष विभाग से इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को हाल ही में स्थानांतरित कर दिया गया है। हम इस पूरी रणनीति को लागू करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की भी स्थापना कर रहे हैं। महोदय, आपको याद होगा कि इस महीने के आरम्भ में हुई पिछली बैठक में मैंने उल्लेख किया था कि 15 फरवरी तक हमें देश के भीतर महत्वपूर्ण निवेश के लिए प्रस्ताव प्राप्त होंगे। मुझे यह रिपोर्ट करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमें सिलिकॉन फैब्स के लिए और डिस्प्ले फैब्स दोनों के लिए ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। हमने 15 फरवरी को पहला दौर बंद कर दिया है। शुरुआती प्रतिक्रिया अच्छी रही है। हम उन अन्य कंपनियों जो आवेदन करना चाह सकती हैं के लिए 3-4 महीने के बाद फिर से बाजार में वापस आ जाएंगे। लेकिन अभी, हमारे पास आए प्रस्तावों का आकलन करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम है।"

82. भारत में सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण के संबंध में, सचिव ने निम्नानुसार कहा:

"चूंकि कोई भी भारतीय कंपनी सेमीकंडक्टर के व्यवसाय में नहीं है और उनके पास प्रौद्योगिकी नहीं है, इसलिए या तो विदेशी कंपनियों को भारत में आने और अपने परिचालन की स्थापना कर सकें या संयुक्त उद्यम में या भारतीय कंपनियों के साथ सहयोगी तरीके से विदेश से आने वाली कंपनियां हों। इसलिए, दोनों तरीकों का स्वागत है और दोनों हो रहे हैं।"

83. पीएलआई की स्थिति के बारे में, सचिव, इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

"महोदय**,** पीएलआई स्कीम में, हम वास्तव में बड़े ब्रांडों को लाए हैं। दो उल्लेखनीय ब्रांड हैं। एक है एप्पल, जो बड़ी संख्या में फोन बनाती है। वास्तव में हमारी रुचि उन कंपनियों में है जो एक भूगोल में विनिर्माण करती हैं लेकिन अन्य

भौगोलिक क्षेत्रों को सेवा प्रदान करती हैं। ऐप्पल और सैमसंग वास्तव में प्रमुख कम्पनियां हैं, और फिर अन्य हैं। उनमें से कई चीनी कंपनियां हैं, जैसे ओप्पो, वीवो, वनप्लस, हुआवेई, शाओमी और कुछ अन्य भी उस गेम में हैं। पीएलआई योजना के माध्यम से, हम सबसे पहले, एक बड़े प्रारूप के साथ भारत में ऐप्पल और सैमसंग फोन के विनिर्माण को लाने में सफल रहे हैं। हमने यहां जिस योजना का अनावरण किया था, वह यह है। योजना के पहले वर्ष में, यदि संबंधित चयनित कंपनी एक वैश्विक कंपनी है, तो यह पहले ही वर्ष में 4,000 करोड़ रुपये की वृद्धिशील विनिर्माण करेगी, जो पिछले वर्ष की आधार रेखा की तुलना में वृद्धिशील है। अगले साल, वे उसी आधार वर्ष से न्यूनतम 8,000 करोड़ रुपये का वृद्धिशील विनिर्माण करेंगे; फिर 15,000 करोड़ रुपये; फिर 20,000 करोड़ रुपये; और कुछ प्रोत्साहनों के लिए पात्र बने रहने के लिए 25,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त विनिर्माण करेंगे। इसलिए, यह एक बहुत ही खड़ी ढाल का श्रेणीकरण हमने किया है। केवल वैश्विक दिग्गज वास्तव में उस आवश्यकता को पूरा करने की उम्मीद कर सकते हैं। "तत्पश्चात्, हमने घरेलू कंपनियों के लिए बिलकुल समान योजना बनाई है क्योंकि हम अपने घरेलू ब्रांडों और घरेलू ईएमएस प्रचालनों, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवा प्रचालनों, जो कि संविदा विनिर्माण है, का सृजन और पुनरुद्धार भी करना चाहते हैं। इसमें हमारे अपने ब्रांडों के साथ-साथ अनुबंध विनिर्माण शामिल है। जिस तरह से फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन और फ्लेक्स, आदि, इन सभी विशाल कंपनियों को वह सेवाए प्रदान करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी कंपनियां भी उस स्थान में बढ़ें। इसलिए, इसकी उत्कृष्ट प्रतिक्रिया हुई है। महामारी के कारण थोड़ा झटका लगा था जहां कुछ कंपनियां एक साल अतिरिक्त चाहती थीं, और हमने उन्हें वह दिया है। लेकिन इस साल, मुझे लगता है कि वे पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। अत: इस वर्ष हमें न केवल भारत में इलैक्ट्रॉनिक विनिर्माण में अपितु निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी। और फिर, हम अगले पांच वर्षों में निर्यात में बहुत तेजी से वृद्धि के प्रक्षेपवक्र पर होंगे। यह प्रदर्शन फैब्स और अर्धचालकों की मांग पैदा करेगा।"

84. पीएलआई प्रोत्साहनों के बारे में विस्तार से बताते हुए, सचिव, इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"हमारे पीएलआई प्रोत्साहन वास्तव में इस साल से किक-इन करेंगे। अब तक, केवल सैमसंग ने 2020-2021 के पहले के लिए चुना था। अन्य कंपनियों ने अपने पहले वर्ष के रूप में 2021-2022 का विकल्प चुना है। इसलिए, अगले वर्ष, वे इस वर्ष अपने प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहनों के लिए पात्र हो जाते हैं। हम उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहनों के लिए अलग रखे जा रहे लगभग 5,300 करोड़ रुपये का इस तरह उपयोग करने की परिकल्पना करते हैं। इसमें प्रत्येक रुपया आमतौर पर 16 रुपये से 20 रुपये के उत्पादन और आमतौर पर इस योजना पर खर्च किए जाने वाले रुपये के लगभग 10-12 गुना निर्यात का प्रतिनिधित्व करता है। अन्य कंपनियों ने अपने पहले वर्ष के रूप में 2021-2022 का विकल्प चुना है। इसलिए, अगले वर्ष, वे इस वर्ष अपने प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहनों के लिए पात्र हो जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहनों के लिए लगभग 5,300 करोड़ रुपये अलग रखे जा रहे हैं। इसमें प्रत्येक रुपया आमतौर पर 16 रुपये से 20 रुपये के उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है, और आमतौर पर इस योजना पर खर्च किए जाने वाले रुपये के लगभग 10-12 गुना निर्यात करता है। इस वर्ष और अगले 5-7 वर्षों में हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम वास्तव में भारत में बड़े पैमाने पर लाएं। अगर हम छोटे पैमाने पर लाते हैं, तो यह आ भी सकता है और जा भी सकता है। यदि हम वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण पैमाने पर प्राप्त करते हैं, तो यह बने रहने के लिए प्रवृत्त होगा और हमारी अपनी कंपनियां भी तेज़ी से काम शुरू कर देंगी।"

85. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आरई चरण में इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना के लिए कुल 7703 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख बाधाएं इस प्रकार हैं:

(i) घरेलू विनिर्माण में अक्षमताओं को संबोधित करना: भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र कुछ अक्षमताओं का सामना करता है जो घरेलू विनिर्माण को कम प्रतिस्पर्धी बनाता है। इसमें योगदान देने वाले तीन सबसे महत्वपूर्ण कारक बुनियादी ढांचे की स्थिति, बिजली की गुणवत्ता और विश्वसनीयता और वित्त की लागत हैं।

(ii) प्रौद्योगिकी परिवर्तन की विविधता और वेग: इलेक्ट्रॉनिकी व्यापक है और सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है। विभिन्न प्रौद्योगिकियों, एप्लीकेशनों, उपकरणों, प्रणालियों और सॉफ्टवेयर के बीच अभिसरण, लगातार प्रौद्योगिकी परिवर्तन चला रहा है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकियों का हॉफ लाइफ लगातार कम हो रही है और कुछ कार्यक्षेत्रों में छह महीने से भी कम समय का अनुमान है।

<u>आईटी/इलेक्ट्रॉनिकी/सीसीबीटी में अनुसंधान एवं विकास</u>

86. वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 के लिए प्रस्तावित बीई आरई और वास्तविक और वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित और बीई निम्नवत हैं:

(रुपये करोड़ में)

	2018-19	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
प्रस्तावित	450.00	769.70	1300.00	2200.00	1422.20
बीई	178.00	416.00	762.99	700.00	598.17
आरई	180.00	435.00	425.00	700.00	-
वास्तविक	179.00	427.74	420.91	329.79 (31.01.2022 की स्थिति के अनुसार)	-
आरई के संदर्भ में %	99%	98%	99%	47%	-

87. एमईआईटीवाई सभी ईएंडआईसीटी क्षेत्रों में आरएंडडी गतिविधियों को सहायता प्रदान करता है। परिभाषित समूह (इलेक्ट्रॉनिकी, आईटी, सीसीएंडबीटी और टीडीआईएल) प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान करते हैं। योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समावेशी और सतत विकास के लिए भारत को अनुसंधान एवं विकास और ईएंडआईटी में नवाचार के वैश्विक केंद्र में बदलना।
- भारत और विदेशों में अकादमिक, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और उद्योग के साथ दीर्घकालिक रोड मैप के साथ सहयोग को बढ़ावा देना।
- कुछ चिन्हित क्षेत्रों में देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करने के लिए एक इकोसिस्टम का निर्माण करना।
- भारतीय बाजार के लिए उपयुक्त और आयात प्रतिस्थापन के रूप में विभिन्न संस्थानों/संगठनों/सोसाइटियों में विभिन्न प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों, उत्पादों, प्रणालियों के बारे में जानकारी बढ़ाना।
- प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं के निर्माण के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र और एससी/एसटी समुदाय को भी लाभान्वित करना।
- परियोजना के परिणाम जनसामान्य तक पहुंचते हैं और समाज पर प्रभाव डालते हैं।

88. अकादमिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में आईटी/इलेक्ट्रॉनिकी/सीसीबीटी परियोजनाओं में अनुसंधान एवं विकास कार्यान्वित किया जा रहा है। कोविड -19 महामारी के कारण अधिकांश शैक्षणिक संस्थान गैर-कार्यात्मक रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप इन संस्थानों को जारी सहायता अनुदान के उपयोग और कम उपयोग में देरी हो रही है। इसके परिणामस्वरूप लक्षित परिणाम में वितरण और समाधान/उत्पादों के विकास की दिशा में परियोजना के कार्यान्वयन में देरी हुई है और यह आईटी/इलेक्ट्रॉनिकी /सीसीबीटी समूह में आर एंड डी के तहत वित्त वर्ष 21-22 में कम उपयोग की ओर जाता है। कोविड 19 महामारी के कारण, कार्यान्वयन एजेंसी में लंबित यूसी और आईटी/इलेक्ट्रॉनिकी/सीसीबीटी योजना में आर एंड डी सहित सभी योजनाओं के लिए बजट में कटौती हुई, तदनुसार प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में प्रगति हो रही है।

89. अनुसंधान एवं विकास में प्रगति के संबंध में, सचिव ने साक्ष्य के दौरान निम्नानुसार बताया:

> "अनुसंधान और विकास में हमें कुछ उल्लेखनीय सफलता मिली है। रूद्र का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण विकास है। जब आप इस तरह के कई बोर्डों को एक साथ

रखते हैं तो आपको उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग मिलती है। यह हमारा अपना डिजाइन है जो महत्वपूर्ण है। क्वांटम पक्ष पर, हमने अभी तक क्वांटम मशीन नहीं बनाई है। लेकिन हमने क्वांटम सिमुलेटर बनाए हैं ताकि हमारे मानव संसाधन उन प्रौद्योगिकियों के आसपास प्रशिक्षित हो सकें। यही हमारा गढ़ है। हम फिर से उस पर रैंपिंग कर रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में छात्र इस क्षेत्र से परिचित हो रहे हैं ... xxx.... हम क्वांटम संचार, क्वांटम सामग्री, पोस्टक्वांटम क्रिप्टोग्राफी, आदि पर काम कर रहे हैं क्योंकि क्वांटम वास्तव में लगभग किसी भी साइबर सुरक्षा प्रणालियों को नियन्त्रण में करने के लिए क्रूर बल के उपयोग को सक्षम करेगा जो आज लागू हैं। xxx ... इस में हमारे कई प्रयास चल रहे है। स्वदेशी एमआरआई में, हम एमआरआई विकसित करने के बहुत करीब हैं। हम स्थायी चुंबक को छोड़कर एमआरआई के सभी हिस्सों को विकसित करने में सक्षम हैं। अत: वह भाग पिछड़ रहा है। लेकिन हमने बाहर से स्थायी चुंबक लिया है और उसके ऊपर अपना एमआरआई बनाया है। एलआइएनएसी रैखिक त्वरक है। सामग्री और फोटोनिक्स में, हम अधिक से अधिक उन्नत सामग्रियों की ओर बढ़ रहे हैं। हम ग्राफेने और उन्नत सामग्री पर कुछ प्रयासों को उजागर किया है। फोटोनिक्स अभी तक बंद नहीं हुआ है। लेकिन फोटोनिक्स हमारे लिए काम का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वर्धनात्मक विनिर्माण पर, मैं यह प्रस्तुत करना चाहता हूं कि हमने उद्योग की गहन भागीदारी के साथ उत्कृष्टता के कुछ केंद्रों के साथ शुरुआत की है।"

<u>नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन (राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन)</u>

90. एनएलटीएम के लिए एक प्रायोगिक परियोजना को भारतीय अंग्रेजी, तमिल, हिंदी भाषाओं के लिए अंग्रेजी-हिंदी के लिए प्रोटो-टाइप स्पीच टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए शुरू किया गया था; अंग्रेजी-मराठी; कन्नड़ भाषा के लिए हिंदी-तेलुगु भाषा के जोड़े और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन सिस्टम। राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन: उपरोक्त प्रयास का विस्तार करने के लिए भाषिणी की 22 अनुसूचित भाषाओं में भी संकल्पना की गई है और इसे शुरू किया जा रहा है जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं, विशेष रूप से शासन और नीति, विज्ञान और इंजीनियरिंग शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल आदि के

क्षेत्र में भाषा बाधा को दूर करना है। मिशन के तहत एक राष्ट्रीय सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने का प्रस्ताव है।

91. राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन को मंजूरी दे दी गई है और मिशन को लागू करने के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों के लिए एक कॉल किया गया था और इसके परिणामस्वरूप अनुशंसित परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। मिशन को शुरू करने और कायम रखने के लिए मंत्रालय ने अनुरोध किया है कि कृपया टीडीआईएल कार्यक्रम को पर्याप्त बजट परिव्यय आबंटित किया जाए ताकि भाषा कंप्यूटिंग उपकरण और अनुवाद प्रौद्योगिकियों को समय-लक्षित तरीके से विकसित किया जा सके। एनएलटीएम के तहत प्रमुख बाधा, एआई आधारित अनुवाद मॉडल बनाने के लिए 22 मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में भाषा डेटासेट मौजूद होना है। इस संबंध में डेटासेट के लिए क्राउड सोर्सिंग प्रयासों के साथ राज्य भाषा मिशन शुरू करने की योजना है।

92. राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की प्रगति पर, सचिव, इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान कहा:

> "अगला रोमांचक कार्य जो हम कर रहे हैं वह एनएलटीएम- राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन है। यह भाषिणी का नाम ले रहा है, जो 'वंदे मातरम्' में इस्तेमाल किया गया एक शब्द है। वहां से हमने इस शब्द को उठाया है। इसमें बहुत गंभीर शोध शामिल हैं। इसके अलावा, यह एक भाषा योगदान एपीआई है। यह राज्य भाषा मिशनों, स्टार्ट अप और नागरिकों की भागीदारी के साथ एक पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। यह एक ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एपीआई का सक्रिय उपयोग करता है जो हम सभी के लिए बहुत प्रिय है अर्थात लोगों के लिए एक-दूसरे के साथ और अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ बातचीत करने या सामग्री तक पहुंच प्राप्त करने के लिए ज्ञान के लिए, बातचीत करने आदि के लिए कंप्यूटिंग सिस्टम का उपयोग करने की क्षमता है। इसलिए, इसका अंतिम लक्ष्य यह है कि देश के एक हिस्से में एक अशिक्षित दादी देश के दूसरे हिस्से में पूरी तरह से अलग भाषा के साथ अपनी हमउम्र से बात करने में सक्षम हो, और उम्मीद है कि वास्तविक समय में हम यह सब कर पाने में सक्षम होंगे। इसमें प्रत्येक भाषा में

स्वचालित वाक् पहचान शामिल है। इसमें स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के बीच अनुवाद शामिल है। इसमें लक्षित भाषा में पाठ से भाषण शामिल है। यह सिर्फ एक लक्ष्य है जिसे हमने अपने लिए निर्धारित किया है। मैंने सोचा कि यह सात साल का लक्ष्य है, लेकिन मुझे मेरी टीम द्वारा बताया गया है कि हम अगले तीन या पांच वर्षों में कई रूपों में इसका प्रभाव देख सकते हैं। कुछ शुरुआती झलक हमारे लिए पहले से ही उपलब्ध हैं। इसके माध्यम से, हमने भाषा डेटा सबमिट करना संभव बना दिया है क्योंकि डेटा वह है जो नए एआई मॉडल को भाषण मान्यता, अनुवाद, पाठ से भाषण, ऑप्टिकल कैरक्टर पहचान, हाथ लेखन मान्यता, आदि के लिए उभरने में सक्षम बनाता है। इसके लिए हमने हमारे पास उपलब्ध सभी राष्ट्रीय डेटाबेस को एक राष्ट्रीय पोर्टल में रखा है। इसमें प्रसार भारती के कुछ आंकडे शामिल हैं क्योंकि उनके पास समाचार बुलेटिन है जो विभिन्न भाषाओं में हैं और कमोबेश एक ही समानांतर सामग्री हैं। संसद में भी समानांतर सामग्री है क्योंकि हर चीज का आधिकारिक तौर पर कम से कम अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। इसी प्रकार, यह राज्य विधानमंडलों में होता है। यदि हम उस सब पर अपना हाथ रखने और इसे एक भंडार में रखने में सक्षम हैं, तो यह भाषा मॉडल के उभरने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली भंडार बन जाता है। हमने एक तरीका भी बनाया है जिसके द्वारा लोग योगदान दे सकते हैं। संस्थान, कंपनियां और व्यक्ति नए भाषा मॉडल बना सकते हैं और उनका योगदान कर सकते हैं, बेंचमार्क प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें या तो मुफ्त में उपयोग के लिए उपलब्ध करा सकते हैं या अंततः वे अपने ऐप बना सकते हैं और उन्हें सेवाओं के रूप में प्रदान कर सकते हैं। यह एक बहुत ही सुंदर काम है। इसे अभी आधिकारिक तौर पर लॉन्च नहीं किया गया है। लेकिन यहां तक कि प्री-लॉन्च परिणाम भी बहुत दिलचस्प हैं। इसमें सभी को शामिल किया जाएगा। इसके लिए सभी के योगदान और भागीदारी की आवश्यकता होगी। महोदय, हम इसे गूगल अनुवाद और अन्य सेवाओं के साथ भी बेंचमार्क करेंगे जो अन्यत्र उपलब्ध हैं। डेटा सेवाओं की बड़ी सामग्री मात्रा तक पहुंच होगी जो मुख्य रूप से अंग्रेजी में उपलब्ध हैं और बहुत सीमित सीमा तक हमारी अल्प प्रसारित भाषाओं में हैं। हमने अपनी भारतीय भाषाओं पर एक बहुत ही दृढ़ विश्वास के साथ शुरुआत की है, जो 'भाषा अनेक भारत एक' वाक्यांश को ध्यान में रखते हुए

है। इसलिए, प्रत्येक भारतीय भाषा मेरी भाषा है और मुझे इसका उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए और भारत में लोगों को बड़ी मात्रा में सामग्री डेटा सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाना चाहिए जो मुख्य रूप से अंग्रेजी में उपलब्ध हैं और हमारी निचली भाषाओं में बहुत सीमित सीमा तक हैं। उपकरण किसी भी सामग्री को लेने में मदद करेंगे, जैसे कि टिकटॉक या यू-ट्यूब वीडियो, और अंततः इसे हमारी अपनी भाषा में उपशीर्षक के साथ दिखाते हैं, और बाद में, भाषण से पाठवाचन ताकि यह बोलने में भी सक्षम हो सके कि क्या हो रहा है। इसमें हमने जो कुछ भी लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया है। इन लक्ष्यों को टीम इंडिया, अनुसंधान संगठनों, संस्थानों, व्यक्तियों द्वारा एक साथ आने और अपने प्रयासों को खींचने के लिए प्राप्त किया जाएगा।"

<u>डिजिटल भुगतान का संवर्धन</u>

93. डिजिटल भुगतान का संवर्धन 5 साल (2021-2026) की अवधि की एक योजना है। डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक अनिवार्य पहलू है और इसमें समावेशी वित्तीय सेवाओं का विस्तार करके भारतीय अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता है।

94. वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 के लिए प्रस्तावित, बीई, आरई और वास्तविक और वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित और बीई इस प्रकार हैं:

(रुपये करोड़ में)

	2018-19	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23***
प्रस्तावित	303.00	860.00	320.00	300.00	570.00
बीई	595.78	600.00	220.00	1500.00	200.00
आरई	691.78	480.00	300.00	1500.00	-
वास्तविक	770.29	511.53	523.48	627.99 (31.01.2022 तक)	-
आरई के	111%	107%	174%	42%	-

संदर्भ में %					

*वित्त वर्ष 2022-23 बजट घोषणा के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 में दी गई वित्त सहायता, वित्त वर्ष 2022-23 में भी जारी रहेगी। इसलिए, अतिरिक्त निधियां अनुपूरक/आरई चरण में प्राप्त होने की संभावना है।

95. योजना के उद्देश्यों के बारे में मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

- जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर, ग्रामीण और अन्य अप्रयुक्त क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान स्वीकृति के अवसंरचना में वृद्धि।
- राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख व्यवसायों की पूरी आपूर्ति-श्रृंखला में डिजिटल भुगतान का एंड-टू-एंड एकीकरण।
- देश भर में सरकारी क्षेत्र में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना।
- डिजिटल रूप से अपवर्जित जनसंख्या वर्गों की आजीविका के साथ कैशलेस भुगतान को जोड़ने वाले लक्षित हस्तक्षेप/मॉडल।
- लक्षित जागरूकता और प्रोत्साहन कार्यक्रम का निष्पादन।
- फिनटेक डोमेन में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और उन्हें सक्षम बनाना।
- मजबूत शिकायत निवारण तंत्र सहित डिजिटल भुगतान में साइबर सुरक्षा को मजबूत करना।
- घरेलू भुगतान मोड (रुपे कार्ड और यूपीआई) का अंतर्राष्ट्रीयकरण।

96. 2022-23 के दौरान निधियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में मंत्रालय ने सूचित किया है कि वित्त वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में दी जाने वाली वित्त सहायता, वित्त वर्ष 2022-23 में भी जारी रहेगी। वित्त वर्ष 2022-23 में धन का आबंटन बजट 2022-23 की घोषणाओं के अनुरूप बदल सकता है।

97. हाल के वर्षों में सभी हितधारकों के साथ सरकार के समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप डिजिटल भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2017-18 में कुल लेनदेन की मात्रा 2,071 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में 5,554 करोड़ हो गई।

वित्त वर्ष 2021-22 में दिनांक 02.02.2022 तक (डिजिधन डैशबोर्ड के अनुसार) कुल 6,380 करोड़ डिजिटल भुगतान लेनदेन किए गए हैं।

98. मंत्रालय की महत्वपूर्ण पहलों पर प्रकाश डालते हुए, सचिव, इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान कहा:

> "एक और महत्वपूर्ण पहल जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के लिए दिलचस्प है, वह डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। यूपीआई की वृद्धि लगातार जारी है। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि पिछले वर्ष के बजट के संबंध में जब हम इस समिति से मिले थे, तब 2021 के जनवरी में, देश भर में यूपीआई लेनदेन की संख्या 230 करोड़ रुपये के लेनदेन की थी... xxx..." जनवरी, 2022 में, यह 461 करोड़ रुपये का लेनदेन था। इसलिए, यह पिछले वर्ष के इसी महीने और इस वर्ष के बीच 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। यह मूल्य के मामलें में भी इसी तरह बढ़ता जा रहा है। ये दो रेखांकन, बार चार्ट और लाइन यह इंगित कर रहे हैं। रेखा मान को इंगित करती है, इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ रहा है। कई गुना वृद्धि अभी भी जारी है। आमतौर पर, कुछ अवधि के बाद, कोई पठार या 'एस' वक्र को देखता है। मुझे लगता है कि हम अभी भी उस स्तर पर नहीं हैं। यह अभी भी काफी सक्रिय रूप से बढना जारी है।"

<u>स्वायत्त और अन्य निकायों को सहायता</u>

<u>भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)</u>

99. पिछले चार वर्षों के दौरान यूआईडीएआई के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

	2018-19	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
प्रस्तावित	1965.00	1650.00	1500.00	1200.00	1400.00
बजट अनुमान	1375.00	1227.00	985.00	600.00	1110.00
संशोधित अनुमान	1345.00	836.78	613.00	884.97	-
वास्तविक	1344.99	836.78	613.00	884.97	-
सं अनुमान का %	100%	100%	100%	100%	-

100. एमईआईटीवाई ने यूआईडीएआई द्वारा अनुमानित 1631.05 करोड़ की कुल आवश्यकता के मुकाबले वर्ष 2021-22 के लिए यूआईडीएआई के लिए बीई के रूप में 600.00 करोड़ को मंजूरी दी थी। आरई स्तर पर, यूआईडीएआई ने 1855.67 करोड़ की आवश्यकता का अनुमान लगाया है और इसे एमईआईटीवाई को सूचित किया गया था। हालांकि, एमईआईटीवाई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 884.97 करोड़ के घटे हुए आरई का संचार किया है। अब तक किया गया व्यय 1042.15 करोड़ है, जबकि जारी सहायता अनुदान 884.97 करोड़ है। अतिरिक्त खर्च यूआईडीएआई की आय से पूरा किया गया है। उपयोग में वृद्धि निम्नलिखित कारणों से है:

- विभिन्न यूआईडीएआई सेवाओं के लिए नए प्रबंधित सेवा प्रदाताओं की ऑन-बोर्डिंग।
- डेटा केंद्रों (डीसी) का उन्नयन कार्य अर्थात यूआईडीएआई डेटा सर्वरों का प्रतिस्थापन और उन्नयन और भंडारण किया जा रहा है।
- अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) को प्राथमिकता दी गई। इसलिए, अपडेट की संख्या अधिक है। साथ ही जवाब पूर्वी क्षेत्र में संतृप्ति स्तर प्राप्त करने के लिए, आधार नामांकन बहुत अधिक हैं।
- विभिन्न शहरों में पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर यूआईडीएआई के अपने आधार सेवा केंद्र खोलना।

101. 2022-23 के दौरान बीई में प्रस्तावित राशि और किए गए आवंटन में अंतर के संबंध में और 2022-23 के दौरान निधियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में, मंत्रालय ने कहा कि यूआईडीएआई द्वारा अनुमानित 1623.19 करोड़ की कुल आवश्यकता के मुकाबले वर्ष 2022-23 के लिए यूआईडीएआई के लिए बीई के रूप में 1110.00 करोड़ आबंटित किए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1110.00 करोड़ का आबंटन यूआईडीएआई की विभिन्न यूआईडीएआई सेवाओं के लिए विभिन्न शहरों में केंद्र और जवाब पूर्वी क्षेत्र में नामांकन की अधिक मात्रा नए प्रबंधित सेवा प्रदाताओं को काम पर रखने, डेटा केंद्रों (डीसी) के तकनीकी सुधार, नई आधार सेवा के उद्घाटन के मद्देनजर यूआईडीएआई की आवश्यकता

को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। वित्त मंत्रालय से निधियों के उपयोग के आधार पर उचित स्तर पर अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाएगा। वर्ष 2022-23 के लिए 1110.00 करोड़ रुपए का आवंटन विभिन्न यूआईडीएआई सेवाओं के लिए नए प्रबंधित सेवा प्रदाताओं की भर्ती, डाटा केन्द्रों (डीसी) के तकनीकी नवीनीकरण होने, विभिन्न शहरों में नए आधार सेवा केन्द्र खोलने और पूर्वोत्तर क्षेत्र में नामांकन की भारी संख्या को देखते हुए यूआईडीएआई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। वित्त मंत्रालय से निधियों के उपयोग के आधार पर उपयुक्त चरण में अतिरिक्त निधियां प्रदान करने का अनुरोध किया जाएगा।

102. मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण देश भर में आधार केंद्रों के कामकाज पर असर पड़ा। हालांकि, देश भर में काम कर रहे आधार नामांकन केंद्रों की कुल संख्या अब कोविड-पूर्व स्तर को पार कर गई है।

103. समिति को बताया गया है कि आधार में मोबाइल और ई-मेल लिंकिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट (सीईएलसी) का उपयोग करके टैबलेट और सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैनर से लैस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से लगभग एक लाख डाकियों की ऑन-बोर्डिंग की गई है। इनमें से, 79,069 ऑपरेटर ऑन-बोर्ड किये गए हैं और 31-12-2021 तक 73,103 मशीनें सक्रिय की गई हैं। यूआईडीएआई ने नामित अधिकारियों (एमपी/एमएलए/नगरपालिका पार्षदों/राजपत्रित अधिकारियों आदि) द्वारा ई-हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सीडैक के माध्यम से एक वेब-आधारित एप्लीकेशन (अनुप्रयोग) विकसित करने और तैनात करने का प्रस्ताव किया है। प्रमाण पत्र का उपयोग निवासी आधार नामांकन के समय वैध प्रमाण दस्तावेज के रूप में कर सकते हैं। आधार ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण के साथ अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के रूप में, यह धोखाधड़ी वाले प्रमाण पत्रों के सृजन की संभावना को कम कर देगा। आधार के नामांकन/अद्यतन के लिए निवासियों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों के लिए 100% गुणवत्ता जांच, आधार उत्पादन के संतृप्ति स्तर को अतिरिक्त 1% तक बढ़ाना।

104. 2022-23 के दौरान बढ़े हुए आवंटन के कारणों को स्पष्ट करते हुए, सचिव, एमईआईटीवाई ने निम्नानुसार कहा:

> "यूआईडीएआई के संबंध में, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि हमने लगभग 85 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान किया है। वे प्रौद्योगिकी नवीकरण चक्र के बीच में हैं। उनके उपकरण लगभग 10-12 साल पुराने थे और अब उन्हें प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता थी। इसलिए, इस वर्ष के साथ-साथ अगले वर्ष, हम उन्हें अपने हार्डवेयर के साथ-साथ सॉफ़्टवेयर और अन्य साइबर सुरक्षा और उनके सिस्टम के आसपास के अन्य उपायों को अपग्रेड करने में सक्षम बनाने के लिए उच्च आवंटन देकर उनका सहयोग कर रहे हैं।"

भाग - दो

टिप्पणियां/सिफारिशें

बजट विश्लेषण

1. समिति नोट करती है कि 2022-23 के लिए मंत्रालय ने 14300 करोड़ रुपए की विस्तृत अनुदानों की मांगें रखी हैं जिनमें से राजस्व खंड के अंतर्गत 13911.99 करोड़ रुपए और पूंजी खंड के अंतर्गत 388.01 करोड़ रुपए हैं। यह राशि ब.अ. स्तर 2021-22 पर किए गए आबंटन से 4579.34 करोड़ रुपए अधिक है। ब.अ. 2022-23 में राजस्व प्रावधान को 4637.33 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया जब उसकी तुलना 2021-22 के ब.अ. के साथ की गई और इसका मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु "बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर के उत्पादन हेतु पीएलआई" के लिए 53000 करोड़ रुपए निर्धारित थे जबकि 2022-23 के दौरान पूंजी खंड के अंतर्गत आबंटन में 58 करोड़ रुपए तक कमी कर दी गई है।

निधियों के उपयोग के संबंध में समिति नोट करती है कि 2021-22 के दौरान राजस्व खंड के अंतर्गत ब.अ. स्तर पर 9274.66 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी जिसे सं.अ. स्तर पर घटाकर 9174.25 करोड़ रुपए कर दिया गया था जिसका मुख्य कारण कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर पहली दो तिमाहियों में व्यय की धीमी गति और द्वितीय तिमाही में वित्त मंत्रालय द्वारा लगाए प्रतिबंध थे। 31 जनवरी, 2022 को वास्तविक व्यय मात्र 5559.42 करोड़ रुपए रहा है। पूंजी खंड के अंतर्गत 2021-22 के लिए ब.अ. स्तर पर 446 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी जिसे सं.अ. स्तर पर घटाकर 407 करोड़ रूपए कर दिया गया था और जनवरी, 2022 तक वास्तविक उपयोग मात्र 157.21 करोड़ रुपए रहा है। समिति नोट करती है कि 2021-22 के दौरान 'एसटीक्यूसी कार्यक्रम', 'साइबर सुरक्षा (सर्ट-इन) एनसीसीसी और डाटा गवर्नेंस', 'ईएपी सहित इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस', 'जनशक्ति विकास', 'इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहन, 'आईटी और आईटीईज को प्रोत्साहन', 'आईटी/इलेक्ट्रॉनिकी/ सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास', 'डिजिटल भुगतान को

प्रोत्साहन' आदि जैसी अनेक योजना स्कीमों के अंतर्गत निधियों का काफी कम उपयोग हुआ है। मंत्रालय द्वारा समिति को यह भी सूचित किया गया है कि 'जनशक्ति विकास', 'इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहन' तथा 'आईटी और आईटीइज उद्योगों को प्रोत्साहन' जैसी योजनाओं के अंतर्गत ब.अ. के विशेष संदर्भ में गत तीन वर्षों के दौरान निधियों का निरंतर कम उपयोग हुआ है।

यद्यपि 2021-22 के दौरान निधियों का उपयोग जनवरी, 2022 तक धीमा बना रहा और मंत्रालय पूरी आबंटन राशि का उपयोग करने के लिए संघर्ष कर रहा है तो मंत्रालय ने 2022-23 के लिए 16223.21 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की है और ब.अ. स्तर पर उन्हें 14300 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। ऐसी योजनाएं जिन्हें आबंटन राशि का बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ है वे 'इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस', 'राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, 'बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर हेतु पीएलआई,' 'यूआईडीएआई' आदि हैं। समिति यह भी नोट करती है कि मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत अद्यतन निधियों के उपयोग राशि 7789 करोड़ रुपए है जो 2021-22 के संशोधित अनुमान का लगभग 80 प्रतिशत बैठती है। समिति यह समझती है कि मंत्रालय को व्यय का बड़ा भाग डिजिटल भुगतानों को प्रोत्साहन पर करना पड़ता था जो कि वित्तीय वर्ष के अंत तक चले डिजिटल भुगतान में संलग्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के व्यय की प्रतिपूर्ति था। जबकि मंत्रालय यह स्पष्टीकरण कि कुछ व्यय में बैंकों और भुगतान संगठनों के साथ अंतिम समय मिलाने में थे। तथापि यह तथ्य ध्यान में रखते हुए समग्र 80 प्रतिशत व्यय अब भी चिंता का विषय है कि मंत्रालय सरकार के कुछ अग्रणी कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि पिछले कुछ वर्षों से कुछ चालू योजनाओं के अंतर्गत निधियों का निरंतर कम उपयोग हुआ है। यह समिति के लिए चिंता का कारण है। समिति की सुविचारित राय है कि 2022-23 के दौरान व्यय की गति पर निगरानी करने की आवश्यकता है क्योंकि आबंटन में और वृद्धि की गई है। समिति की इच्छा है कि ब.अ. से सं.अ. स्तर पर निधियों की कमी करने की प्रवृत्ति को सख्तीपूर्वक टाला जाए ताकि योजनाओं का कार्यान्वयन

प्रभावित नहीं हो। समिति यह भी सिफारिश करती है कि मंत्रालय वित्तीय वर्ष के अंत में जल्दबाजी में की जाने वाली कार्रवाई से बचे। समिति को उपयुक्त चिंताओं का निवारण करने के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराया जाए।

<u>बकाया उपयोग प्रमाण-पत्रों (यूसी) की स्थिति</u>

2. समिति नोट करती है कि दिनांक 31 जनवरी, 2022 की स्थिति के अनुसार 635.89 करोड़ रुपए की राशि वाले कुल 220 उपयोग प्रमाण-पत्र बकाया थे। मंत्रालय ने सूचित किया है कि उन्होंने लंबित उपयोग प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए हैं। ये उपाय फलकारी सिद्ध हो रहे हैं क्योंकि किसी विशेष अवधि के लिए लंबित उपयोग प्रमाण-पत्रों में निरंतर कमी आ रही है। समिति यह समझती है कि 1.04.2021 से 01.02.2022 की अवधि में 684.86 करोड़ रुपए के उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय विभिन्न परियोजनाओं को सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु समय समय पर योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी रिक्ति की निगरानी/समीक्षा करता रहता है जो कि यह भी सुनिश्चित करता है कि एमईआईटीवाई द्वारा जारी किए गए अनुदान का प्रभावी तरीके से उपयोग किया जाए। विभिन्न एजेंसियों को जारी अनुदान के उपयोग की स्थिति का पता लगाने के लिए समय-समय पर उपयोग प्रमाण-पत्र संबंधी स्थिति की समीक्षा की जा रही है और लक्ष्य यह है कि उपयोग प्रमाण-पत्रों के लंबित रहने की संख्या शून्य रहें और अनुदानग्राही संस्थाओं के पास न्यूनतम शेष राशि रहे। अप्रैल, 2021 से फरवरी, 2022 तक की अवधि के दौरान 684.86 करोड़ रूपए की राशि के उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करते हुए समिति चाहती है कि ये प्रयास भविष्य में भी जारी रहने चाहिएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं/परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े और उपयोग प्रमाण पत्रों को लंबित होने के धीरे-धीरे बढ़ने की स्थिति से सख्त रूप से बचा जा सके। समिति चाहती है कि मंत्रालय द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्रों के लंबित होने की

संख्या को शून्य करने और कार्यान्वयन एजेंसियों/निकायों के पास न्यनूतम अप्रयुक्त शेष राशि के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए।

<u>आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधन (आईईबीआर)</u>

3. समिति नोट करती है कि 2021-22 के दौरान ब.अ. स्तर पर निर्धारित 1615.43 करोड़ रूपए के आईईबीआर के लक्ष्य के स्थान पर जिसे सं.अ. सतर पर घटाकर 1518.94 करोड़ रूपए कर दिया गया था, दिनांक 31 दिसंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार वास्तविक व्यय 1192.15 करोड़ रूपए अर्थात् सं.अ. के संदर्भ में 78.49 प्रतिशत रहा है। समिति को सूचित किया गया है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण वर्ष 2021-22 हेतु ब.अ. से सं.अ. स्तर पर आईईबीआर लक्ष्य को 96.49 करोड़ रूपए तक घटा दिया है। तथापि, स्वायत्त निकाय सं.अ. स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों को बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं जैसा कि पिछले वर्षों के मामले में हुआ है। समिति नोट करती है कि 1632.98 करोड़ रूपए का आईईबीआर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह पिछले वर्ष हेतु ब.अ. स्तर पर निर्धारित लक्ष्य से 17.50 करोड़ रूपए अधिक है। मंत्रालय को आशा है कि आईईबीआर की उपलब्धियां चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक होंगी। समिति ने यह सराहना करते हुए कि स्वायत्त निकाय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही हैं तो वह चाहती है कि वे और अधिक आईईबीआर सृजित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे ताकि वे सरकारी अनुदानों पर अपनी आत्मनिर्भरता कम कर सकें। समिति आशा करती है कि 2022-23 हेतु निर्धारित आईईबीआर लक्ष्यों में जबर्दस्त कमी नहीं की जाए तथा स्वायत्त निकाय चालू वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्यों को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करें।

<u>राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनाईसी)</u>

4. समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय सूचना केन्द्र केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, 37 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और 720+ जिलों के सभी स्तरों पर सरकार को आईसीटी सहायता

प्रदान करता है। एनआईसीनेट, राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में सरकारी कार्यालयों के 1000 से अधिक लैन और 8000 से अधिक स्थानों पर 5 लाख से अधिक नोड्स शामिल हैं। एनआईसी के डाटा सेंटर सुरक्षित वातावरण में सरकार की 8000 से अधिक वेबसाइटों की मेजबानी करते हैं। मंत्रालय ने समिति को सूचित किया है कि एनआईसी का मुख्य ध्यान नवीनतम अत्याधुनिक आईसीटी अवसंरचना प्रदान करने पर है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, जिलों और अन्य सरकारी निकायों को ई-गवर्नेंस सहायता, अत्याधुनिक समाधान प्रदान करता है। एनआईसी केंद्र और राज्य सरकारों के साथ सहयोग से डिजिटल प्लेटफार्मों और अनुप्रयोगों के विकास और कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं की अंतिम स्तर तक प्राप्ति एक वास्तविकता बन जाती है। एनआईसी बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए क्रमिक रूप से अपने बुनियादी ढांचे का उन्नयन कर रहा है। समिति ने नोट किया कि वर्ष 2022-23 के दौरान, मंत्रालय ने एनआईसी के लिए 1500 करोड़ रुपये की राशि का अनुमान लगाया था, जिसमें से बीई स्तर पर 1450 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मंत्रालय ने सूचित किया है कि 2022-23 के दौरान एनआईसी के लिए निधियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि मुख्यरूप से पूंजीगत बजट के अंतर्गत निधि की आवश्यकता को कम किया गया जिसके कारण निधियों की उपलब्धता के आधार पर जिलों में आईसीटी अवसंरचना का उन्नयन चरणबद्ध तरीके से करना पड़ा। समिति नोट करती है कि एनआईसी ई-गवर्नेंस कार्यक्रम और डिजिटल आईसीटी अनुप्रयोगों में एक सक्रिय उत्प्रेरक और सुविधाप्रदाता रहा है। जहां तक सरकार की आईसीटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन का संबंध है, यह जिलों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सूचना क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तथापि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संगठन को लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जनशक्ति, बुनियादी अवसंरचना और जिला केन्द्रों के उन्नयन के लिए निधियों की कमी में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अपने

मिशन को जारी रखने के लिए, एनआईसी को निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

ऐसे कठिन समय के दौरान निर्बाध निर्बाध सेवाएं प्रदान करने वाले डिजिटल अवसंरचना और कनेक्टिविटी प्रदाता के रूप में एनआईसी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को एनआईसी की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होने और उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है, विशेषरूप से अवसंरचना संबंधी चिंताएं ताकि नागरिकों को सरकारी सेवाओं की अंतिम छोर तक सुपुर्दगी प्रदान करने की उनकी क्षमता को सुदृढ़ किया जा सके। समिति यह जानकर निराश है कि एनआईसी की मानव संसाधन संबंधी आवश्यकता और अवसंरचना संबंधी जरूरतों की व्यापक समीक्षा करने की उनकी सिफारिश के बावजूद, मंत्रालय ने उपर्युक्त मुद्दों का समाधान करने के लिए बहुत कम कार्य किए हैं। समिति एक बार फिर मंत्रालय को एनआईसी में मानव संसाधन की कमी के मुद्दे पर विचार करने की सिफारिश करती है। अवसंरचना के संबंध में, समिति का यह सुविचारित मत है कि मंत्रालय को जिला स्तर पर अवसंरचना में सुधार के लिए पूंजी शीर्ष के अंतर्गत आबंटन बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय पर जोर डालने की आवश्यकता है। समिति चाहती है कि मंत्रालय एनआईसी में मानव संसाधन और बुनियादी अवसंरचना संबंधी बाधाओं दोनों को यथाशीघ्र दूर करने के लिए आवश्यक उपाय करे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मानव संसाधन के उन्नयन के लिए पहले का प्रस्ताव बिना किसी ठोस परिणाम के अटक गया है, समिति सिफारिश करती है कि सभी अंशधारकों को शामिल कर संगठन की मानव संसाधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नई व्यावहारिक योजना तैयार की जाए। समिति को इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

<u>सरकारी त्वरित संदेश सेवा (अब संदेश के रूप में नामित)</u>

5. समिति नोट करती है कि सरकारी त्वरित संदेश सेवा (जीआईएमएस) (अब संदेश के रूप में नामित) एनआईसी द्वारा विकसित एक खुला स्रोत, सुरक्षित, क्लाउड सक्षम

और स्वदेशी मंच है जिसे सरकार और नागरिकों के बीच त्वरित और सुरक्षित संदेश सेवा के लिए विकसित किया जा सके। संदेश सिस्टम में ऐप पोर्टल, गेटवे और वेब संस्करण शामिल हैं। समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट पूर्व की सिफारिश का उत्तर देते हुए मंत्रालय ने सूचित किया था कि प्रयोक्ताओं को निशुल्क और सुरक्षित संदेश भेजने के लिए विभिन्न ई-जीओवी आवेदनों को संदेश के साथ एकीकृत किया जा रहा है। यह पहले से ही एनआईसी ईमेल, डिजिलॉकर और ई-ऑफिस के साथ पंजीकृत है और संदेश के साथ एकीकृत कुछ ई- जीओवी एप्लीकेशन ई-कोर्ट, परिचय, बीएचयूआईएएन (छत्तीसगढ़ भूलेख), जीवन प्रमाण आदि हैं। हालांकि, समिति नोट करती है कि भले ही सेवा को पूरी तरह से प्रारंभ कर दिया गया है, मैसेजिंग ऐप का उपयोग करने वाले अधिक उपयोगकर्ता नहीं हैं। समिति को यह जानकर भी आश्चर्य होता है कि जब एनआईसी ने मैसेजिंग के लिए इंस्टेंट ऐप विकसित किया था, तब भी सरकारी प्रतिष्ठानों/विभागों में व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप का व्यापक उपयोग किया जाता है और संदेश ऐप के अस्तित्व के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मंत्रालय ने सूचित किया है कि सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सभी मुख्य सचिवों और सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को संदेश को आधिकारिक संचार चैनल के रूप में अपनाने के लिए लिखा था।

इस संबंध में, समिति दृढ़ता से सिफारिश करती है कि सरकार की सभी शाखाओं के भीतर संदेश का उचित प्रचार किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह पहले से ही संतृप्त इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप क्षेत्र में प्रभाव डालने के लिए उपयोगकर्ताओं की न्यूनतम महत्वपूर्ण संख्या तक पहुंच सके। समिति सभी संबंधितों द्वारा आधिकारिक संचार मंच के रूप में संदेश को अपनाए जाने की तुलना में की गई प्रगति के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त प्रतिक्रिया और फीडबैक से भी अवगत होना चाहेगी।

<u>पोषण ट्रैकर</u>

6. समिति नोट करती है कि एमईआईटीवाई ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ समन्वय में पोषण ट्रैकर नामक एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य

शिशुओं, छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और युवा माताओं को पोषण प्रदान करने के लिए बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति और शारीरिक विकास की प्रगति की निगरानी करने के लिए देश भर में लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लक्षित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सात प्रकार के लाभार्थियों अर्थात् 06 महीने तक के बच्चों, 6 महीने से 3 साल तक, 3 साल से 6 साल तक, किशोर लड़की, गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं की निगरानी करने में सक्षम हैं। ऐप 22 भाषाओं में उपलब्ध है। समिति नोट करती है कि इसे आंतरिक रूप से विकसित किया गया है और यह एक राष्ट्रीयकृत प्रणाली है। यह भी बताया गया है कि पोषण ट्रैकर में लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं। मंत्रालय द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की सराहना करते हुए समिति यह सिफारिश करती है कि देश के दूरदराज के क्षेत्रों, विशेषरूप से जनजातीय क्षेत्रों में पोषण ट्रैकर की पहुंच बढ़ाई जा सकती है ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सके। समिति चाहती है कि उन्हें मंत्रालय की इस पहल के संबंध में लक्ष्यों और जमीनी स्तर पर विकास/प्रभाव के बारे में सूचित किया जाए।

<u>विनियामक निकाय</u>

<u>साइबर सिक्योरिटी)सर्ट-इन(,एनसीसीसी और डाटा गवर्नेंस</u>

7. समिति नोट करती है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया टीम सर्ट-इन को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 70 ख के अंतर्गत साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया के क्षेत्र में राष्ट्रीय अभिकरण के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए पदनामित किया गया है। सर्ट-इन नवीनतम साइबर खतरो, कमजोरियों और कंप्यूटर और नेटवर्क को बचाने के लिए प्रतिक्रियात्मक उपायों के संबंध चेतावनी और सलाह जारी करता है। जहाँ तक शीर्ष के अंतर्गत निधियों के कम उपयोग का संबंध है वर्ष 2022 के दौरान बजट अनुमान स्तर पर 216 करोड रुपए की राशि आवंटित की गई है जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर

घटाकर 213 करोड रुपए कर दिया गया और जनवरी 2022 तक वास्तविक उपयोग केवल 98.31 करोड रुपए रहा। वर्ष 2022 -23 के लिए पूंजीगत सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना मदों की खरीद के साथ-साथ स्थापना लागत के लिए प्रस्तावित 263 करोड़ रुपये की तुलना में बजट अनुमान स्तर पर 215 करोड रुपए की राशि पर आवंटित की गई है। समिति को सूचित किया गया है कि सर्ट-इन गतिविधियों के लिए पूंजीगत उपकरणों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होगी और आरई चरण के दौरान इसकी मांग की जाएगी। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि सर्ट-इन को घटनाओं और साइबर सुरक्षा मुद्दों में तेजी से वृद्धि, ऑनसाइट प्रतिक्रिया सहित घटना प्रतिक्रिया गतिविधियों की तत्काल प्रकृति, प्रमुख वर्तमान और योजनाबद्ध नई गतिविधियों/परियोजनाओं को बनाए रखने और उभरती प्रौद्योगिकियों और क्षेत्रों से संबंधित साइबर सुरक्षा मुद्दों का समाधान करने के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन की तत्काल आवश्यकता है। इस चुनौती से निपटने के लिए सर्ट -इन ने विभिन्न स्तरों पर अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव पेश किया है।

समिति यह भी महसूस करती है कि सर्ट-इन का दायरा और गतिविधियां हाल ही में कई गुना बढ़ी हैं और साइबर प्लेटफार्मों पर साइबर अपराध, साइबर चोरी और अन्य शरारती गतिविधियों की घटनाओं में तेजी से वृद्धि से निपटने के लिए इसे अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए मंत्रालय के तत्वाधान में सर्ट-इन द्वारा चल रही गतिविधियों/परियोजनाओं के साथ-साथ भविष्य की गतिविधियों/परियोजनाओं को मानव संसाधन की कमी के कारण नुकसान न हो। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि सर्ट-इन की अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता के मुद्दे कोउचित महत्व देते हुए इस पर विचार किया जाए और .पदों के अतिरिक्त सृजन के लिए सर्ट-इन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाए और इसे तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाए। सर्ट-इन के लिए पूंजीगत उपस्करों की आवश्यकता के संबंध में समिति को आशा है कि मंत्रालय आरई

स्तर पर अतिरिक्त निधियों के लिए वित्त मंत्रालय से आग्रह करेगा। दोनों मामलों पर आगे की प्रगति की सूचना समिति को दी जाए।

<u>केन्द्रीय साइबर समन्वय केंद्र)एनसीसीसी(</u>

8. समिति नोट करती है कि सर्ट-इन मौजूदा और संभावित साइबर सुरक्षा खतरों के बारे में स्थितिजन्य आवश्यक जागरूकता पैदा करने और व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा सक्रिय, निवारक और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए समय पर जानकारी साझा करने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र)एनसीसीसी (की स्थापना भी कर रहा है। एनसीसीसी के पहले चरण को जुलाई 2017 में प्रचालित किया गया है। अपेक्षित निधियों और मानव संसाधन की अपेक्षित उपलब्धता के साथ 2022 के अंत तक पूर्ण पैमाने पर एनसीसीसी के चालू होने की परिकल्पना की गई है। एनसीसीसी परियोजना को वित्त वर्ष 2021-22 से सर्ट-इन की नियमित गतिविधियों के साथ विलय कर दिया गया है। एनसीसीसी स्थापना घटक की बजट आवश्यकता को भी वित्त वर्ष 2021-22 से सर्ट-इन के नियमित बजट के साथ विलय कर दिया गया है। समिति यह भी नोट करती है कि साइबर सुरक्षा)एनसीसीसी और अन्य (के लिए, निधियों के प्रावधान को वर्ष 2021-22 के लिए बीई चरण में 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर आरई चरण में 339 करोड़ रुपये कर दिया गया है। साथ ही इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों के मद्देनजर बीई वर्ष 2022-23 के लिए, बीई स्तर पर 300 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जबकि 2021-22 में 200 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। समिति नोट करती है कि सर्ट-इन वर्तमान में परियोजना के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कार्य कर रहा है और एनसीसीसी फेज-II चरण 2 शुरू किया है।

समिति बहुत दृढ़ता से महसूस करती है कि साइबर घटनाओं और साइबर सुरक्षा उल्लंघनों में भारी वृद्धि हुई है और यह आवश्यक है कि साइबर स्पेस पर आसन्न खतरों से निपटने के लिए देश की क्षमताओं और लचीलेपन को आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाए। साइबर सुरक्षा को मंत्रालय की कार्य सूची/प्राथमिकता मदों में सबसे आगे रहना होगा और

जहां तक साइबर जगत का संबंध है, सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने में धन की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वास्तव में समिति का महसूस करती है कि मंत्रालय को विशेष रूप से इस क्षेत्र में नई चुनौतियों के मद्देनजर अधिक सुरक्षित साइबरवर्ल्ड प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों को मजबूत करना चाहिए। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि साइबर सुरक्षा के लिए निधियों को वार्षिक आधार पर बढ़ाया जा सकता है ताकि निधियों की भारी कमी के कारण इस क्षेत्र में किसी भी विफलता को रोका जा सके। समिति मंत्रालय को पूर्ण एनसीसीसी की शीघ्र स्थापना के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की भी सिफारिश करती है ताकि देश साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए स्थितिजन्य जागरूकता पैदा करने के लिए अवसंरचना और आवश्यक साधनों से पर्याप्त रूप से सुसज्जित हो सके और समय पर हस्तक्षेप कर सके। एनसीसीसी को साइबर स्पेस को सुरक्षित करने में चुनौतियों से निपटने के लिए प्राथमिकता के साथ पर्याप्त संसाधन और मानव संसाधन का भी प्रदान की जाए।

<u>डिजिटल इंडिया कार्यक्रम</u>

<u>ईएपी सहित इलेक्ट्रोनिक शासन</u>

9. समिति ने नोट किया कि ई-गवर्नेंस डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक उप-योजना है जिसमें डिजिटल अवसंरचना के विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं जैसे कि स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क)स्वान(, नेशनल डेटा)एनडीसी (और स्टेट डेटा सेंटर्स)एसडीसी(, मेघराज-भारत सरकार क्लाउड पहल, भारत सरकार का ई-मेल समाधान, प्रगति वीसी, डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे माईजीओवी, डिजिटल लॉकर ई-साइन, ई-अस्पताल, राष्ट्रीय डेटा राजमार्ग, उमंग, एनसीओजी, ओपन गवर्नमेंट डेटा, ई-ताल, रैपिड असेसमेंट सिस्टम)आरएएस(, सीएससी, वेब, कियोस्क और मोबाइल प्लेटफॉर्म, डिजिटल विलेज और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आदि के माध्यम से सेवाएँ प्रदान करना। और प्रत्येक परियोजना अपनी आरम्भ तिथि और पूरा करने की समय सीमा होती है। 2021-22 के दौरान, बीई चरण में 425 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी जिसे आरई

चरण में बढ़ाकर 535 करोड़ रुपये कर दिया गया था और जनवरी, 2022 तक वास्तविक उपयोग केवल 192.08 करोड़ रुपये रहा है। समिति नोट करती है कि कुछ नई परियोजनाओं जैसे माईजीओवी द्वारा इन्सेप, भारत सरकार के लिए सुरक्षित ई-मेल सेवाएं, ओपन गवर्नमेंट डेटा)ओजीडी 2.0), एनआईसी नेशनल क्लाउड सर्विसेज में वृद्धि आदि की शुरुआत के कारण फंड की आवश्यकता में वृद्धि हुई है। समिति यह भी नोट करती है कि बीई 2022-23 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस योजना के लिए 525.0 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। यह भी सूचित किया गया है कि मौजूदा कोविड-19 महामारी के कारण केवल अत्यावश्यक नई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं और लंबित यूसी की स्थिति और उनके पास अव्ययित शेष को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी की जाएंगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ई-सेवाओं की कुशल सुपुर्दगी के लिए डिजिटल अवसंरचना प्रदान करने के लिए कई मिशन मोड परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, ई-गवर्नेंस के तहत निधि के उपयोग में कमी चिंता का विषय है। समिति मंत्रालय को इस योजना के तहत सामने आ रही चुनौतियों से निपटने और यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि 2022-23 के लिए आवंटित धन का पूरी तरह से उपयोग किया जाए।

10. समिति नोट करती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिन प्राथमिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वे डिजिटल साक्षरता और डिजिटल कनेक्टिविटी हैं। इन चुनौतियों के अलावा, डिजिटल डिवाइड गैप को इस तथ्य के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाता है कि कमजोर वर्गों से संबंधित कई नागरिक डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाने से वंचित हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजी-दिशा) को देश में सभी 2.50 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) को जोड़ने के उद्देश्य से छह करोड़ ग्रामीण परिवारों को कवर करने के लक्ष्य के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता शुरू करने के लिए कार्यान्वित किया गया है और भारतनेट परियोजना लागू की गई है। समिति नोट करती है कि मंत्रालय ई-सेवाओं की डिलीवरी के लिए डिजिटल अवसंरचना प्रदान करने हेतु ई-गवर्नेंस

के तहत विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। योजना का सफल कार्यान्वयन डिजिटल साक्षरता और डिजिटल कनेक्टिविटी पर निर्भर करता है। समिति पीएमजी-दिशा के कार्यान्वयन के माध्यम से सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को देखते हुए, मंत्रालय से देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता लाने के लिए त्वरित रूप से सभी कदम उठाने का आग्रह करती है। पीएमजी-दिशा जैसी डिजिटल साक्षरता योजना के कार्यान्वयन की प्रगति पर, समिति को आशा है कि पर्याप्त संख्या में लोगों को प्रशिक्षित किया गया होगा। तथापि, यह देखा जाना शेष है कि यह कार्यक्रम देश में डिजिटल साक्षरता की शुरुआत करने में कितना सफल रहा है। इसके प्रभावों का आकलन करने के लिए किसी भी पैरामीटर के अभाव में, कार्यक्रम के लाभों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना कठिन है। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स शासन की सफलता देश में डिजिटल साक्षरता और डिजिटल कनेक्टिविटी पर बहुत अधिक निर्भर करती है, इसलिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और विभिन्न संस्थाओं को शामिल करने के निरंतर प्रयास करने चाहिए।

<u>ई-गवर्नेंस-डिजिलॉकर</u>

11. समिति नोट करती है कि डिजिटल लॉकर निवासियों को दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के भंडारण, साझाकरण, सत्यापन के लिए एक वैयक्तिक स्थान के रूप में एक समर्पित क्लाउड आधारित मंच प्रदान करता है। समिति नोट करती है कि 9.22 करोड़ उपयोगकर्ता पंजीकृत किए गए हैं और विभाग द्वारा जारी किए गए 486 करोड़ दस्तावेज डिजिटल लॉकर में उपलब्ध हैं। समिति 'डिजिलॉकर' के संबंध में मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करती है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि डिजिलॉकर अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली साधन है जो लोगों को कागजी रिकॉर्ड ले जाने या देखने या मुद्रित प्रमाण पत्र देखने की आवश्यकता को दूर करने और काम करने के डिजिटल तरीके से पूरी तरह से स्विच करने में सक्षम बनाता है, समिति ने यह भी पाया कि बड़े पैमाने पर जनता के लिए 'गोपनीयता' एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिंता का विषय

बनी हुई है। समिति यह भी नोट करती है कि यह भौतिक कार्ड रखने के बजाय डिजिटल पहचान के रूप में आधार की तर्ज पर सुविधा प्रदान करने का एक प्रयास है। समिति को यह बताया गया है कि ज्यादातर राज्य सरकारों ने अनुदेश जारी किए हैं और डिजिलॉकर का उपयोग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। डिजिलॉकर देश में ई-हेल्थ लॉकर की स्थापना की सुविधा भी प्रदान कर रहा है। इस पहल के अंतर्गत कई लाभों को नोट करते हुए, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि मंत्रालय द्वारा 'डिजिलॉकर' का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। समिति मंत्रालय को डिजिटल लॉकर को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास करने की भी सिफारिश करती है ताकि इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ाई जा सके। समिति मंत्रालय को डिजिटल लॉकर के मुद्रीकरण पर विचार करने की भी सिफारिश करती है ताकि राजस्व सृजित किया जा सके।

<u>जनशक्ति विकास</u>

12. समिति नोट करती है कि जनशक्ति विकास योजना के तहत, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्यकलापों का लक्ष्य रखा गया है। इलैक्ट्रॉनिकी और आईसीटी क्षेत्र के लिए मानव संसाधन विकास से संबंधित विभिन्न स्कीमों/परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है और वे कार्यान्वयनाधीन है। समिति को बताया गया है कि 2021-22 के दौरान, लक्षित 3 लाख अभ्यर्थियों में से, अब तक 2.50 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और उन्होंने इसका उपयोग किया है। वर्ष 2022-23 के लिए 3.30 लाख अभ्यर्थियों को कौशल विकास प्रदान करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। निधियों के उपयोग के संबंध में, समिति नोट करती है कि बजट अनुमान और संशोधित अनुमान 2021-22 में 400 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी और 31.01.2022 तक वास्तविक उपयोग केवल 85.15 करोड़ रुपये अर्थात संशोधित अनुमान का 21 प्रतिशत रहा है। 2022-23 के दौरान, 450 करोड़ रुपये की

प्रस्तावित राशि के मुकाबले बजट अनुमान में 350 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। समिति यह भी नोट करती है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नैसकॉम) ने संयुक्त रूप से "फ्यूचर स्किल्स प्राइम" (रोजगार के लिए आईटी जनशक्ति के पुन: कौशल/अप-स्किलिंग पारिस्थितिकी तंत्र हेतु कार्यक्रम)" नामक एक नई पहल की है, जिसका उद्देश्य सतत कौशल के साथ-साथ अपनी गति के कौशल वातावरण में पेशेवरों के ज्ञान में वृद्धि करने हेतु उनकी आकांक्षाओं और योग्यता के अनुरूप वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ऐडिटिव विनिर्माण/3डी प्रिंटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल एंड मोबाइल, साइबर सुरक्षा और ब्लॉक श्रृंखला आदि जैसी 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में बी2सी के लिए "री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग इको सिस्टम" सृजित करना है। उल्लिखित 4.12 लाख लाभार्थियों में से, 108436 अभ्यर्थियों ने अपने पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं।

समिति नोट करती है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा जनशक्ति विकास योजना एक महत्वपूर्ण पहल है। हालांकि, समिति यह बात नोट कर चिंतित है कि 2021-22 के दौरान इस योजना के तहत जनवरी, 2022 तक उपयोग की स्थिति अत्यंत कम अर्थात संशोधित अनुमान स्तर पर आवंटित राशि का केवल 21 प्रतिशत रहा है। निश्चित रूप से निधि के उपयोग की इस गति के साथ, मानव संसाधन विकास में मील का पत्थर हासिल करना एक दूर का सपना लगता है। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय 2022-23 के दौरान निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करे और 3.30 लाख अभ्यर्थियों के कौशल विकास के लक्ष्य को प्राप्त करे। "फ्यूचर स्किल्स प्राइम" के संबंध में, समिति का मत है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की तेजी से विकसित प्रकृति के कारण, सूचना प्रौद्योगिकी में कार्यबल का पुन: कौशल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। समिति महसूस करती है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि

देश में सुप्रशिक्षित और कुशल मानव संसाधन होनी चाहिए। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय कौशल विकास के क्षेत्र में, विशेष रूप से नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में नैसकॉम के साथ सहयोग बढ़ाएगा। समिति को इस संबंध में की गई प्रगति से अवगत कराया जाए।

<u>राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन)</u>

13. समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) का उद्देश्य संसाधनों के आदान-प्रदान और सहयोगी अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क के माध्यम से देश भर के सभी ज्ञान संस्थानों को आपस में जोड़ना है। उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को आपस में जोड़ने के लिए एक उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क स्थापित किया गया है। संस्थानों के लिए 1752 लिंक्स प्रारंभ किए गए हैं और उन्हें चालू कर दिया गया है। पूरे भारत में एनआईसी जिला केंद्रों से 522 एनकेएन लिंक जोड़े गए हैं। समिति यह भी नोट करती है कि एनकेएन देश में सभी ई-गवर्नेंस पहलों के लिए बैकबोन नेटवर्क है। शैक्षिक संस्थानों के अलावा, एनकेएन चार राष्ट्रीय डाटा केंद्रों (एनडीसी), 31 राज्य डाटा केंद्रों (एसडीसी), 30 स्वैन राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन), मंत्रालयों, विभागों और मिशन उन्मुख एजेंसियों को जोड़ता है, जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डीआरडीओ, पृथ्वी विज्ञान, अंतरिक्ष, आईसीएआर, एमएचआरडी आदि शामिल हैं। मंत्रालय ने समिति को सूचित किया है कि डिजिटल सूचना सूचना-मार्ग (डीआईआई), जो एनकेएन का अगला चरण है, अनुमोदन के अंतिम चरण में है। डीआईआई प्रभावी शासन की आवश्यकता को पूरा करेगा और अनुसंधान और शैक्षिक संस्थानों के मध्य सहयोग और ज्ञान संसाधन साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा। समिति नोट करती है कि 786 करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि के मुकाबले, 2022-23 के दौरान एनकेएन के लिए बजट अनुमान चरण में 650 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। समिति को बताया गया है कि अनुपूरक अनुदान मांगों में अतिरिक्त निधियों की मांग करने के प्रयास किए जाएंगे।

समिति का मत है कि राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क एक तरफ सुदृढ़ और विश्वसनीय नेटवर्क प्रदान करने तथा दूसरी तरफ देश में ज्ञान को समृद्ध करने के लिए सूचना और ज्ञान तक निशुल्क पहुंच के दोनों लक्ष्यों को पूरा करता है। समिति का मत है कि परियोजना के सफल कार्यान्वयन से हाई स्पीड बैकबोन कनेक्टिविटी प्रदान करने और सहयोगी संस्थाओं के बीच ज्ञान भागीदारी को सुगम बनाने से अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि यूनिफाइड गवर्मेंट नेटवर्क जो की अग्रिम चरण पर है, बनाने के लिए एनकेएन अर्थात डिजिटल इंफॉर्मेशनइंफो के अगले चरण के लिए अनुमोदन शीघ्र लिया जाए क्योंकि एनकेएन देश में सभी ई-गवर्नेंस उपायों के लिए बैकबोन नेटवर्क भी है। इसलिए यह आवश्यक है कि ई-गवर्नेंस कि पहलुओं के सफल कार्यान्वयन के लिए एनकेएन को सुदृढ़ किया जाए। इस बारे में समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय मौजूदा वित्तीय वर्ष में इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निधियों के आवंटन हेतु सभी उपाय करें।

<u>इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देना</u>

<u>बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई</u>

14. समिति ने नोट किया कि बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना और आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना के लिए 2022-23 के लिए 4056 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। दो उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमें घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और क्रमश: मोबाइल फोन और विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों और आईटी हार्डवेयर में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। 1 अप्रैल, 2020 को अधिसूचित मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए पीएलआई योजना के तहत, भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष 2019-20 में) पर 6% से 3% का प्रोत्साहन दिया जाएगा और पांच साल की अवधि के लिए पात्र कंपनियों को लक्ष्य खंड के तहत कवर किया जाएगा। समिति ने नोट किया कि बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स

विनिर्माण (मोबाइल फोन और घटक) के लिए पीएलआई योजना वैश्विक और घरेलू मोबाइल विनिर्माण कंपनियों से प्राप्त अत्यधिक रुचि के संदर्भ में एक बड़ी सफलता रही है। अगले 5 वर्षों में, इस योजना से लगभग 10.5 लाख करोड़ रुपये के कुल उत्पादन की उम्मीद है। इस योजना से निर्यात में भी काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। कुल उत्पादन में से, 60% से अधिक का योगदान 6.5 लाख करोड़ रुपये के ऑर्डर के निर्यात द्वारा होने की उम्मीद है। यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 11,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश लाएगी। पीएलआई योजना भारतीय ब्रांडों को पुनर्जीवित करके और भारतीय ईएमएस कंपनियों को मजबूत करके घरेलू चैंपियन कंपनियों को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी।

समिति यह भी नोट करती है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पादों सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों में 24.02.2021 को आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी है। समिति को सूचित किया गया है कि आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना के तहत कुल 14 कंपनियों को अनुमोदित किया गया है। इस योजना के तहत भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष 2019-20 में) पर 4% से 2% का प्रोत्साहन दिया जाएगा और चार साल की अवधि के लिए पात्र कंपनियों को लैपटॉप, सर्वर, टैबलेट और ऑल-इन-वन पीसी के लक्षित खंडों के तहत कवर किया जाएगा। अगले 4 वर्षों में, इस योजना के तहत अनुमोदित 14 कंपनियों से लगभग 1,60,000 करोड़ रुपये के कुल उत्पादन की उम्मीद है। अगले 4 वर्षों में 1,60,000 करोड़ रुपए के कुल उत्पादन में से, 37% से अधिक 60,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर के निर्यात से आने की उम्मीद है। इस योजना से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 2,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश आने की उम्मीद है। आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना के तहत 36,066 अतिरिक्त प्रत्यक्ष नौकरियों और चार गुना अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन की उम्मीद है।

समिति नोट करती है कि मंत्रालय घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल और आईटी हार्डवेयर के विशिष्ट घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए पीएलआई स्कीमों सहित इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें कर रहा है, लेकिन ये घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने में उतना प्रभावी नहीं हैं क्योंकि देश अभी भी दूरसंचार उपकरणों सहित इलेक्ट्रॉनिक्स का शुद्ध आयातक बना हुआ है। समिति ने नोट किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, डिजिटल इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है और 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देकर विनिर्माण क्षेत्र को के प्रचार द्वारा आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। घरेलू मूल्य वर्धन के अलावा, यह सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार सृजन में योगदान देगा। समिति सिफारिश करती है कि दोनों स्कीमों को सही तरीके से कार्यान्वित किया जाए ताकि इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की मांग को घरेलू उत्पादन के माध्यम से पूरा किया जा सके और भारत इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभर सके। समिति को आशा है कि उपर्युक्त दोनों योजनाएं बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, घटकों की घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को सक्षम करेंगी और इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना के निर्माण को सुविधाजनक बनाएगी। समिति सिफारिश करती है कि पीएलआई योजना को समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाए और दो पीएलआई स्कीमों के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों की तेजी से जांच की जाए ताकि दीर्घावधि में कोई भी चूककर्ता न हो। समिति को इन योजनाओं के तहत प्राप्त लक्ष्यों से अवगत कराया जा सकता है।

<u>सेमीकंडक्टर और प्रदर्शन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए कार्यक्रम</u>

15. समिति नोट करती है कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सतत अर्धचालक और प्रदर्शन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये के सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में लगी कंपनियों को

आकर्षक प्रोत्साहन सहायता प्रदान करना है। इससे सामरिक महत्व और आर्थिक आत्मनिर्भरता के इन क्षेत्रों में भारत के तकनीकी नेतृत्व का मार्ग प्रशस्त होगा। समिति ने नोट किया है कि उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत चार योजनाएं शुरू की गई हैं, अर्थात् भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना की योजना, भारत में डिस्प्ले फैब्स की स्थापना की योजना, कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर्स फैब एंड सेमीकंडक्टर असेंबली की स्थापना की योजना, भारत में परीक्षण, मार्किंग एंड पैकेजिंग (एटीएमपी) / ओएसएटी सुविधाएं और डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना। इन स्कीमों के अतिरिक्त, समिति को सूचित किया गया है कि सरकार ने सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला, मोहाली को ब्राउनफील्ड फैब के रूप में आधुनिकीकरण का भी अनुमोदन किया है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल इंडिया कारपोरेशन के भीतर एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग के रूप में भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) की स्थापना के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसके पास अर्धचालकों के विकास और प्रदर्शन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भारत की कार्यनीतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता है। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उद्योग में वैश्विक विशेषज्ञों के नेतृत्व में परिकल्पित, आईएसएम योजनाओं के कुशल, सुसंगत और सुचारू कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। समिति को सूचित किया गया है कि भारत की ताकत अर्धचालक डिजाइन में निहित है। भारत उन कंपनियों के लिए डिजाइन कर रहा है जो बाहर से आती हैं लेकिन अपना आईपी डिजाइन नहीं बना रही हैं और अन्य कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। समिति ने यह भी ध्यान दिया कि अर्धचालक प्रयोगशाला को अंतरिक्ष विभाग से इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है।

समिति नोट करती है कि भारत में सेमीकंडक्टर का निर्माण नवजात स्थिति में है और देश को इस क्षेत्र में अभी भी प्रारंभिक प्रयास करने हैं। देश में सेमीकंडक्टर निर्माण की सुविधाओं को तत्काल बढ़ावा देने की जरूरत है। यह चिंता की बात है कि भारत में अभी तक कोई भारतीय कंपनी सेमीकंडक्टर का निर्माण नहीं कर रही है, तथापि

सेमीकंडक्टर के डिजाइन करने में देश में क्षमता निहित है। समिति का विचार है जब सेमीकंडक्टर की वैश्विक कमी है, सेमीकंडक्टर को प्रोत्साहित करने और डिजाइन सेक्टर के प्रदर्शन की सरकार की नीति का बहुत महत्व है। यह राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति, 2019 के अनुरूप भी है ताकि भारत को इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और सेमीकंडक्टर तथा चिप निर्माण में वैश्विक हब रूप में स्थापित किया जा सके। समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय सभी हितधारकों के साथ समन्वय बनाकर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए एक सक्षम वातावरण का निर्माण करें ताकि देश में सेमीकंडक्टर के उत्पादन की सुविधा हो। ऑटोमोबाइल आदि जैसे अन्य संबंधित क्षेत्र में सेमीकंडक्टर का महत्व स्पष्ट है और अर्थव्यवस्था की भावी जरूरतों को देखते हुए समिति का मानना है कि इस परियोजना पर मंत्रालय को अति विशेष ध्यान देना चाहिए। समिति योजना के प्रत्येक घटक के तहत हुई प्रगति से अवगत होना चाहेगी।

<u>आईटी/इलेक्ट्रॉनिकी/सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास</u>

<u>राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन</u>

16. समिति नोट करती है आईटी/इलेक्ट्रॉनिकी/सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास परियोजना का क्रियान्वयन शैक्षणिक और अनुसंधान तथा विकास संस्थानों में किया जा रहा है। 2021-22 के दौरान बजट अनुमान और संशोधित अनुमान में 700 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई तथा 31 जनवरी, 2021 तक वास्तविक व्यय केवल 329.79 करोड़ रुपए हुआ जो संशोधित अनुमान में किए गए आवंटन का 47% है। समिति को बताया गया है कोविड-19 महामारी के कारण अधिकांश शैक्षणिक संस्थान अकार्यरत रहे जिसके परिणाम स्वरूप इन संस्थानों को जारी की गई सहायता अनुदान राशि के उपयोग में विलंब हुआ और राशि का कम उपयोग हुआ। वर्ष 2022-23 के लिए 1422.20 करोड़ रुपए की तुलना में 598.12 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। समिति को सूचित किया गया कि अंग्रेजी-हिंदी; अंग्रेजी-मराठी; हिंदी-तेलुगु भाषा युग्म के लिए भारतीय अंग्रेजी, तमिल, हिंदी, भाषाओं के लिए और कन्नड़ भाषा के लिए ऑप्टिकल कैरक्टर

रिकॉग्निशन सिस्टम हेतु प्रोटोटाइप स्पीच टेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए एनएलटीएम हेतु एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है। इस प्रयास को 22 अनुसूचित भाषाओं तक बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन भाषिणी की भी संकल्पना की गई है और इसके लिए पहल शुरू की जा रही है जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं, विशेषकर सरकार और नीति, विज्ञान और इंजीनियरिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करना है। मिशन के तहत राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास किए जाने का प्रस्ताव है। मंत्रालय ने बताया है कि कोविड-19 महामारी, कार्यान्वयन एजेंसी के उपयोग प्रमाण पत्र और आईटी/इलेक्ट्रोनिकी/सीसीबटी योजना सहित सभी योजनाओं के लिए बजट में कटौती के कारण, प्राथमिकता दी गई योजनाएं तदनुसार प्रगति कर रही है। एनएलटीएम के तहत प्रमुख बाधा कृत्रिम बौद्धिकता आधारित अनुवाद मॉडल बनाने के लिए 22 मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं हेतु पर्याप्त मात्रा में भाषा डाटासेट होना है। इस संबंध में डाटासेट के लिए क्राउड सोर्सिंग प्रयासों के साथ राज्य भाषा मिशन शुरू करने की योजना है। राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन को अनुमोदित कर दिया गया है और मिशन को क्रियान्वित करने के लिए अनुसंधान और विकास संबंधी प्रस्ताव मंगाए गए हैं तथा परिणाम स्वरूप संस्तुत परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। मिशन को शुरू करने और बनाए रखने के लिए मंत्रालय ने अनुरोध किया है कि टीडीआईएल प्रोग्राम के लिए पर्याप्त बजट आवंटित की जाए ताकि लैंग्वेज कंप्यूटिंग टूल्स और ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी को निर्धारित समय सीमा में विकसित किया जा सके। परियोजना की उपयोगिता और इसके अंतिम लक्ष्य को बताते हुए मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान समिति को बताया कि देश के एक कोने में एक अशिक्षित दादी मां देश के दूसरे भाग में पूरी तरह से अलग भाषा में अपने समकक्ष के साथ बात करने में सक्षम होंगी और आशा है कि निकट भविष्य में रियल टाइम में भी ऐसा होगा। समय सीमा के संबंध में समिति को बताया गया है कि मिशन की समय सीमा 7 वर्ष है लेकिन यह अगले दो-तीन वर्षों में पूरी हो सकती है।

समिति नोट करती है कि मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित एनएलटीएम वास्तव में एक अग्रणी पहल है और इस परियोजना के पहले पूर्ण होने से देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के लिए भाषा संबंधी बाधाएं दूर करने में बहुत ही सहायक होगी। समिति मानती है कि सरकार और नीति, विज्ञान और इंजीनियरिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में उपलब्ध विषय-वस्तु न केवल आम जनता के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, साथ ही अपने क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन करने वाले छात्रों और विद्वानों के लिए भी होगा। चूंकि विभिन्न विषयों से संबंधित अधिकांश विषय-वस्तु अंग्रेजी में है, इसलिए विभिन्न अन्य लाभों के अतिरिक्त देश में शिक्षा क्रांति लाने के लिए ऐसे ऐप का विकास एक स्वागत योग्य कदम है। मंत्रालय को इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए उपाय करने की सिफारिश करते हुए समिति यह भी आग्रह करती है कि पर्याप्त बजट का आवंटन किया जाए ताकि परियोजना को समय बद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा सके। समिति यह भी चाहती है कि इस एप्लीकेशन को संसद, राज्य विधायी निकायों, सरकारी कार्यालयों आदि जैसे देश में विभिन्न संस्थानों को दी जानी चाहिए। समिति अभी चाहती है कि पूरे विश्व में भारतीय दूतावास को यह एप्लीकेशन दिया जाना चाहिए ताकि देश के नागरिक अपने क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकें। पर्यटन के क्षेत्र में इस प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ताकि इसका पूर्ण का उपयोग किया जा सके।

<u>डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा</u>

17. समिति नोट करती है कि सभी हितधारकों के साथ सरकार के सम्मिलित प्रयास के परिणाम स्वरूप हाल में डिजिटल पेमेंट में काफी वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल संव्यवहार 2071 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020-21 में 5554 करोड़ रुपए हो गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2.2.2022 तक कुल 6380 करोड़ रुपए के डिजिटल पेमेंट किए गए (डिजीधन डैशबोर्ड के अनुसार)। समिति हाल के वर्षों में डिजिटल भुगतान में पर्याप्त वृद्धि को स्वीकार करते हुए मंत्रालय से सुरक्षित और निरापद डिजिटल पेमेंट सुनिश्चित

करने के लिए आक्रामक कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है ताकि देश की आम जनता के लिए एक सुरक्षित और निरापद वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। अपने 30वें प्रतिवेदन में समिति ने चिंता व्यक्त की थी कि डिजिटल पेमेंट से संबंधित मामलों से निपटने के लिए एकीकृत अप्रोच का अभाव है और डिजिटल/ऑनलाइन पेमेंट के बढ़ने से इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि एक केंद्रीकृत नोडल एजेंसी/हेल्पलाइन के द्वारा एक एकीकृत अप्रोच अपनाया जाए ताकि डिजिटल/ऑनलाइन से संबंधित संव्यवहार के सभी मामलों का निपटान किया जा सकें जो न केवल पेमेंट संबंधित साइबर अपराध के पीड़ितों की सहायता करेगा साथ ही ऐसे मामलों का तीव्र गति से निपटान करने में भी सहायक होगा। समिति ने साइबर अपराध के पीड़ितों को बीमा कवरेज का प्रावधान करने के संबंध में सिफारिश की थी। इस संबंध में मंत्रालय ने सूचित किया था कि इन पहलुओं पर गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ जल्दी ही बैठक की जाएगी और डिजिटल पेमेंट पारितंत्र को नागरिकों के लिए और ज्यादा सुरक्षित, निरापद और विश्वसनीय बनाने के लिए उपयुक्त तंत्र बनाए जाएंगे। समिति चाहती है कि अंतर-मंत्रालयी बैठक के परिणामों से उसे अवगत कराया जाए और यह भी दोहराती है कि मंत्रालय द्वारा ठोस विश्वास निर्माण के उपाय किए जाएं ताकि डिजिटल पेमेंट के सुरक्षित होने के संबंध में आम नागरिकों में विश्वास पैदा किया जा सके।

<u>भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)</u>

18. समिति नोट करती है कि यूआईडीएआई को 1623.19 करोड़ रुपए के प्रस्तावित राशि की तुलना में वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान में 1110 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। समिति को यह भी बताया गया है कि विभिन्न यूआईडीएआई सेवाओं के लिए नए प्रबंधित सेवा प्रदाताओं को हायर करने, डाटा सेंटर की प्रौद्योगिकी को नया बनाने, विभिन्न शहरों में नए आधार सेवा केंद्र खोलने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारी संख्या में नामांकन को देखते हुए यूआईडीएआई की जरूरतों को पूरा करने में यह आवंटन पर्याप्त नहीं हो सकता। मंत्रालय ने बताया है कि वित्त मंत्रालय से निधियों के

उपयोग के आधार पर उपयुक्त चरण में अतिरिक्त निधि देने का अनुरोध किया जाएगा। समिति को यह बताया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में आवंटन में लगभग 85% की वृद्धि हुई है। समिति नोट करती है जी यूआईडीएआई के उपकरण लगभग 10-12 वर्ष पुराने हैं जिन्हें बदले जाने की जरूरत है और इस चरण में यूआईडीएआई प्रौद्योगिकी नवीकरण चक्र में है। इसलिए, इस वर्ष और अगले वर्ष भी यूआईडीएआई को अपने सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर का उन्नयन करने तथा अपने सिस्टम के लिए अन्य साइबर संबंधी सुरक्षा एवं अन्य उपाय करने में सक्षम बनाने के लिए उच्चतर आवंटन करके सहायता की जा रही है। समिति नोट करती है कि आधार सृजन और उसका अद्यतन एक सतत प्रक्रिया है। हाल में आधार विभिन्न सेवाओं, विशेषकर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ उठाने के लिए एक प्राथमिक अपेक्षा बन गई है। सुशासन, दक्ष, पारदर्शी और सेवाओं के लक्षित परिदान के लिए आधार के महत्व को सरकार द्वारा निरंतर जोर दिया जा रहा है। इस संदर्भ में, समिति मंत्रालय से आशा करती है कि वह आने वाले वित्तीय वर्ष में यूआईडीएआई के लिए पर्याप्त बजट सहायता हेतु वित्त मंत्रालय के साथ मामले उठाएगी ताकि इसकी महत्वपूर्ण सेवाएं और परियोजनाएं प्रभावित ना हो। समिति को यूआईडीएआई में चल रही प्रौद्योगिकी उन्नयन की प्रगति से भी अवगत कराया जा सकता है।

नई दिल्ली; **डॉ .शशि थरूर**

16 **मार्च, 2022**

25 **फाल्गुन, 1943 (शक(** **सभापति,**

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी

स्थायी समिति